1

प्रेस–नोट

विभिन्न आयोजनों में प्राप्त सुझावों के आधार पर बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (वस्त्र एवं चर्म) नीति, 2022 को और आकर्षक बनाने एवं निवेश की सम्भावना बढ़ाने के उद्देश्य से नीति की कंडिका–12.8 में संशोधन किया गया है। जिसके अन्तर्गत चरण–1 की मंजूरी के लिए आवेदन की अधिकतम समयसीमा 30 जून, 2026 तथा वित्तीय मंजूरी के लिए आवेदन की अधिकतम समयसीमा 30 जून, 2027 तक किये जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

13/50

2

बिहार सरकार
उद्योग विभाग।

संचिका संख्या - SIPB2104000114

प्रेस नोट

मेसर्स नेचुरल्स डेयरी प्राइवेट लिमिटेड–इथेनॉल डिवीजन, पानापुर, मोतीपुर जिला-- मुजफ्फरपुर को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली–2016 के नियम–7 के उप नियम (2)(iv) के आलोक में Grain based Ethanol plan-100 KLPD and Co-generation power plant (BIOMASS)-3.3 MW क्षमता के इकाई की स्थापना हेतु कुल रू0 11882.81 लाख (एक अरब अठारह करोड़ बैरासी लाख इक्यासी हजार) रूपये मात्र के निजी पूँजी निवेश पर वित्तीय प्रोत्साहन की स्वीकृति दी गयी। इकाई की स्थापना होने पर राज्य में पूँजी निवेश के साथ--साथ कुल 121 कुशल एवं अकुशल कामगारों का प्रत्यक्ष नियोजन हो सकेगा।

15/1/2025

(बन्दना प्रेयषी)
सचिव

3

बिहार सरकार
उद्योग विभाग।

संचिका संख्या– **SIPB2110000509**

प्रेस नोट

मेसर्स अनमोल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, पिपरीथान, ठाकुरगंज, किशनगंज को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली--2016 के नियम–7 के उप नियम (2) (iv) के आलोक में 60600 MTPA क्षमता के बिस्कीट एवं रस्क निर्माण के स्थापित इकाई हेतु कुल रूपये 21756.49 लाख (दो सौ सत्रह करोड़ छप्पन लाख उनचास हजार) रूपये मात्र के निजी पूँजी निवेश पर वित्तीय प्रोत्साहन की स्वीकृति दी गयी। वर्तमान समय में उक्त इकाई में कुल 922 कुशल एवं अकुशल कामगारों का प्रत्यक्ष नियोजन है।

15/1/2025

(बन्दना प्रेयषी)
सचिव

बिहार सरकार

ऊर्जा विभाग

प्रेस नोट

नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के क्षेत्राधीन 30 अद्द नए विद्युत शक्ति उपकेंद्रों के निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कुल राशि 358.05 करोड़ (तीन सौ अंठावन करोड़ पॉच लाख) रूपये की योजना की स्वीकृति एवं उक्त राशि का 60:40 वित्तीय पोषण के तहत 60 प्रतिशत राशि अर्थात 214.83 करोड़ (दो सौ चौदह करोड़ तेरासी लाख) रूपये केन्द्र सरकार से अनुदान स्वरूप एवं शेष राशि 143.22 करोड़ (एक सौ तैंतालीस करोड़ बाईस लाख) रूपये राज्य सरकार द्वारा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को हिस्सा पूँजी के रूप में इक्विटी स्वरूप उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान किया जाना आवश्यक है।

उक्त आलोक में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के क्षेत्राधीन 30 अद्द नए विद्युत शक्ति उपकेंद्रों के निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कुल राशि 358.05 करोड़ (तीन सौ अंठावन करोड़ पॉच लाख) रूपये की योजना की स्वीकृति एवं उक्त राशि का 60:40 वित्तीय पोषण के तहत 60 प्रतिशत राशि अर्थात 214.83 करोड़ (दो सौ चौदह करोड़ तेरासी लाख) रूपये केन्द्र सरकार से अनुदान स्वरूप एवं शेष राशि 143.22 करोड़ (एक सौ तैंतालीस करोड़ बाईस लाख) रूपये राज्य सरकार द्वारा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को हिस्सा पूँजी के रूप में इक्विटी स्वरूप उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(पंकज कुमार पाल)
सरकार के सचिव।

5

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

प्रेस नोट

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के क्षेत्राधीन 29 अद्द नए विद्युत शक्ति उपकेंद्रों के निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कुल राशि 369.62 करोड़ (तीन सौ उनहत्तर करोड़ बासठ लाख) रूपये की योजना की स्वीकृति एवं उक्त राशि का 60:40 वित्तीय पोषण के तहत 60 प्रतिशत राशि अर्थात 221.78 करोड़ (दो सौ इक्कीस करोड़ अठहत्तर लाख) रूपयें केन्द्र सरकार से अनुदान स्वरूप एवं शेष राशि 147.84 करोड़ (एक सौ सैंतालीस करोड़ चौरासी लाख) रूपये राज्य सरकार द्वारा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को हिस्सा पूँजी के रूप में इक्विटी स्वरूप उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान किया जाना आवश्यक है।

उक्त आलोक में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के क्षेत्राधीन 29 अद्द नए विद्युत शक्ति उपकेंद्रों के निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कुल राशि 369.62 करोड़ (तीन सौ उनहत्तर करोड़ बासठ लाख) रूपये की योजना की स्वीकृति एवं उक्त राशि का 60:40 वित्तीय पोषण के तहत 60 प्रतिशत राशि अर्थात 221.78 करोड़ (दो सौ इक्कीस करोड़ अठहत्तर लाख) रूपये केन्द्र सरकार से अनुदान स्वरूप एवं शेष राशि 147.84 करोड़ (एक सौ सैंतालीस करोड़ चौरासी लाख) रूपये राज्य सरकार द्वारा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को हिस्सा पूँजी के रूप में इक्विटी स्वरूप उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(पंकज कुमार पाल)
सरकार के सचिव।

(6)

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

प्रेस नोट

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के क्षेत्राधीन कार्यरत 220/132/33 के0भी0 एवं 132/33 के0भी0 ग्रिड सब– स्टेशनों से सम्बद्ध/प्रस्तावित विद्युत शक्ति उपकेन्द्रों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु 62 अदद 33 के0वी0 लाइन 'बे' निर्माण हेतु 88.99 करोड़ (अठासी करोड़ निन्यानवे लाख) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृत राशि का 20% अर्थात 17.80 करोड़(सत्रह करोड़ अस्सी लाख) रूपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप एवं शेष 80% अर्थात 71.19 करोड़(इकहत्तर करोड़ उन्नीस लाख) रूपये राज्य सरकार की गारंटी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान किया जाना आवश्यक है।

उक्त आलोक में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के क्षेत्राधीन कार्यरत 220/132/33 के0भी0 एवं 132/33 के0भी0 ग्रिड सब– स्टेशनों से सम्बद्ध/प्रस्तावित विद्युत शक्ति उपकेन्द्रों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु 62 अदद 33 के0वी0 लाइन 'बे' निर्माण हेतु 88.99 करोड़ (अठासी करोड़ निन्यानवे लाख) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृत राशि का 20% अर्थात 17.80 करोड़(सत्रह करोड़ अस्सी लाख) रूपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप एवं शेष 80% अर्थात 71.19 करोड़(इकहत्तर करोड़ उन्नीस लाख) रूपये राज्य सरकार की गारंटी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(पंकज कुमार पाल)
सरकार के सचिव।

बिहार सरकार

ऊर्जा विभाग

प्रेस नोट

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अर्न्तगत संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु मुजफ्फरपुर जिला के गायघाट प्रखंड के मैथी में एक नये 2X80 एम0भी0ए0 क्षमता वाली ग्रिड सब–स्टेशन का निर्माण एवं 132 के0वी0 मुशहरी– एस0के0एम0सी0एच0 संचरण लाईन के दोनों सर्किट का मैथी एल0आई0एल0ओ0 हेतु 134.42 करोड़ (एक सौ चौंतीस करोड़ बियालीस लाख) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृत कुल राशि का 20% अर्थात 26.88 करोड़(छब्बीस करोड़ अट्ठासी लाख) रूपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप एवं शेष 80% अर्थात 107.54 करोड़(एक सौ सात करोड़ चौवन लाख) रूपये राज्य सरकार की गारंटी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान किया जाना आवश्यक है।

उक्त आलोक में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अर्न्तगत संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु मुजफ्फरपुर जिला के गायघाट प्रखंड के मैथी में एक नये 2X80 एम0भी0ए0 क्षमता वाली ग्रिड सब–स्टेशन का निर्माण एवं 132 के0वी0 मुशहरी– एस0के0एम0सी0एच0 संचरण लाईन के दोनों सर्किट का मैथी एल0आई0एल0ओ0 हेतु 134.42 करोड़ (एक सौ चौंतीस करोड़ बियालीस लाख) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृत कुल राशि का 20% अर्थात 26.88 करोड़(छब्बीस करोड़ अट्ठासी लाख) रूपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप एवं शेष 80% अर्थात 107.54 करोड़(एक सौ सात करोड़ चौवन लाख) रूपये राज्य सरकार की गारंटी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(पंकज कुमार पाल)
सरकार के सचिव।

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

प्रेस नोट

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत 06 अद्द 132/33 के0वी0 ग्रिड सब–स्टेशनों (रामनगर, शिवहर, बखरी, शेरघाटी, बारसोई एवं पीरो) को दूसरा ऊर्जा स्रोत उपलब्ध कराने हेतु 06 अद्द 132/33 के0वी0 डबल सर्किट नये संरचण लाईन एवं सबंधित 21 अद्द 'बे' के निर्माण हेतु कुल 442.82 करोड़ (चार सौ बियालीस करोड़ बेरासी लाख) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृत राशि का 20% अर्थात 88.56 करोड (अट्ठासी करोड़ छप्पन लाख) रूपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप एवं शेष 80% अर्थात 354.26 करोड़(तीन सौ चौवन करोड़ छब्बीस लाख) रूपये राज्य सरकार की गारंटी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान किया जाना आवश्यक है।

उक्त आलोक में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत 06 अद्द 132/33 के0वी0 ग्रिड सब–स्टेशनों (रामनगर, शिवहर, बखरी, शेरघाटी, बारसोई एवं पीरो) को दूसरा ऊर्जा स्रोत उपलब्ध कराने हेतु 06 अद्द 132/33 के0वी0 डबल सर्किट नये संरचण लाईन एवं सबंधित 21 अद्द 'बे' के निर्माण हेतु कुल 442.82 करोड़ (चार सौ बियालीस करोड़ बेरासी लाख) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृत राशि का 20% अर्थात 88.56 करोड (अट्ठासी करोड़ छप्पन लाख) रूपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप एवं शेष 80% अर्थात 354.26 करोड़(तीन सौ चौवन करोड़ छब्बीस लाख) रूपये राज्य सरकार की गारंटी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(पंकज कुमार पाल)
सरकार के सचिव।

9

बिहार सरकार

ऊर्जा विभाग

प्रेस नोट

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के क्षेत्राधीन जमुई, मुंगेर, लखीसराय, बांका एवं नवादा जिलों के 54 बसावटों (29 गाँवों) के 2062 घरों को ग्रिड से विद्युतीकरण करने हेतु ''पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना'' (आर0डी0एस0एस0) अंतर्गत कुल राशि 35.46 करोड़ (पैंतीस करोड़ छियालीस लाख) रूपये की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 17.79 करोड़ (सत्रह करोड़ उनासी लाख) रूपये में 60:40 वित्तीय पोषण के तहत 60 प्रतिशत राशि अर्थात 10.68 करोड (दस करोड़ अड़सठ लाख) रूपये केन्द्र सरकार से अनुदान स्वरूप एवं शेष राशि 24.78 करोड़ (चौबीस करोड़ अठहत्तर लाख) रूपये राज्य सरकार द्वारा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को हिस्सा पूँजी के रूप में इक्विटी स्वरूप उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान किया जाना आवश्यक है।

उक्त आलोक में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के क्षेत्राधीन जमुई, मुंगेर, लखीसराय, बांका एवं नवादा जिलों के 54 बसावटों (29 गाँवों) के 2062 घरों को ग्रिड से विद्युतीकरण करने हेतु ''पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना'' (आर0डी0एस0एस0) अंतर्गत कुल राशि 35.46 करोड़ (पैंतीस करोड़ छियालीस लाख) रूपये की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 17.79 करोड़ (सत्रह करोड़ उनासी लाख) रूपये में 60:40 वित्तीय पोषण के तहत 60 प्रतिशत राशि अर्थात 10.68 करोड (दस करोड़ अड़सठ लाख) रूपये केन्द्र सरकार से अनुदान स्वरूप एवं शेष राशि 24.78 करोड़ (चौबीस करोड़ अठहत्तर लाख) रूपये राज्य सरकार द्वारा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को हिस्सा पूँजी के रूप में इक्विटी स्वरूप उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(पंकज कुमार पाल)
सरकार के सचिव।

बिहार सरकार

ऊर्जा विभाग

10

प्रेस नोट

बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा कजरा (लखीसराय) में 116 मेगावाट (AC) सौर ऊर्जा (PV) क्षमता के साथ 241 MWh बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) विस्तार परियोजना के अधिष्ठापन हेतु कुल 1055.72 करोड़ (एक हजार पचपन करोड़ बहत्तर लाख) रूपये की योजना की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृत राशि का 80:20 वित्तीय पोषण के तहत् 80% अर्थात् 844.58 करोड़ (आठ सौ चौवालीस करोड़ अंठावन लाख) रूपये राज्य सरकार की गारंटी पर विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण स्वरूप प्राप्त करने की स्वीकृति एवं 20% अर्थात् 211.14 करोड़ (दो सौ ग्यारह करोड़ चौदह लाख) रूपये इक्विटी स्वरूप पूँजीगत निवेश के रूप में उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान किया जाना आवश्यक है।

उक्त आलोक में बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा कजरा (लखीसराय) में 116 मेगावाट (AC) सौर ऊर्जा (PV) क्षमता के साथ 241 MWh बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) विस्तार परियोजना के अधिष्ठापन हेतु कुल 1055.72 करोड़ (एक हजार पचपन करोड़ बहत्तर लाख) रूपये की योजना की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृत राशि का 80:20 वित्तीय पोषण के तहत् 80% अर्थात् 844.58 करोड़ (आठ सौ चौवालीस करोड़ अंठावन लाख) रूपये राज्य सरकार की गारंटी पर विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण स्वरूप प्राप्त करने की स्वीकृति एवं 20% अर्थात् 211.14 करोड़ (दो सौ ग्यारह करोड़ चौदह लाख) रूपये इक्विटी स्वरूप पूँजीगत निवेश के रूप में उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(पंकज कुमार पाल)

सरकार के सचिव।

बिहार सरकार

ऊर्जा विभाग

प्रेस नोट

नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के क्षेत्राधीन नव सृजित 06 अद्द विद्युत आपूर्ति प्रमंडल के प्रमंडलीय नियंत्रण कक्ष, 15 अद्द विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल के अवर प्रमंडलीय नियंत्रण कक्ष, 05 अद्द पावर सब–स्टेशनों के नियंत्रण कक्ष भवन एवं 04 अद्द नये प्रमंडलीय भंडार के निर्माण हेतु 51.44 करोड़ (इक्यावन करोड़ चौवालीस लाख) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति प्रदान किया जाना आवश्यक है।

उक्त आलोक में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के क्षेत्राधीन नव सृजित 06 अद्द विद्युत आपूर्ति प्रमंडल के प्रमंडलीय नियंत्रण कक्ष, 15 अद्द विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल के अवर प्रमंडलीय नियंत्रण कक्ष, 05 अद्द पावर सब–स्टेशनों के नियंत्रण कक्ष भवन एवं 04 अद्द नये प्रमंडलीय भंडार के निर्माण हेतु 51.44 करोड़ (इक्यावन करोड़ चौवालीस लाख) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(पंकज कुमार पाल)
सरकार के सचिव।

12

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
प्रेस नोट

बांका जिला के लक्ष्मीपुर ग्राम के निकट चांदन नदी पर निर्मित चांदन जलाशय योजना में गाद जमा होने के कारण इसकी जल संचयन क्षमता में 65 प्रतिशत तक कमी आयी है। जल भंडारण क्षमता में लगातार हो रहे ह्रास से कृषकों को समुचित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने में कठिनाई होने के साथ बाढ़ की समस्या भी उत्पन्न हो रही है।

चांदन जलाशय के डिसिल्टेशन कार्य हेतु सर्वप्रथम वर्ष 2015 में 871.70 करोड़ रूपये का प्राक्कलन तैयार किया गया था, परन्तु चांदन जलाशय का अधिकांश हिस्सा वन विभाग के अंतर्गत होने के कारण इस योजना को प्रारंभ नहीं किया जा सका। वर्तमान में राजस्थान राज्य के बीसलपुर एवं गुढ़ा डैम तथा केरल राज्य के मंगलम जलाशय में जमा बालू/गाद की ड्रेजिंग के माध्यम से निकासी एवं इसका वाणिज्यिक उपयोग संवेदक के माध्यम से कराया जा रहा है। संवेदकों द्वारा संबंधित विभागों को न्यूनतम निश्चित राशि का भुगतान तथा उस राज्य में लागू रॉयल्टी एवं अन्य कर का भुगतान संबंधित विभागों को किया जा रहा है। इन संवेदक के द्वारा ही संबंधित विभागों से सभी तरह का अनापत्ति प्राप्त किया जाता है।

दिनांक 29.12.2023 को जल संसाधन विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग की सचिव स्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया कि राजस्थान एवं केरल राज्यों के पैटर्न पर चांदन जलाशय एवं अन्य बराज/जलाशयों के डूबे हुए क्षेत्र में ड्रेजिंग के माध्यम से जल संसाधन विभाग द्वारा बालू/गाद की निकासी कराया जा सकता है।

वर्तमान में चांदन जलाशय के डूब क्षेत्र अंतर्गत जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार के स्वामित्व वाली 216.00 हे० भूमि पर निर्धारित रॉयल्टी का भुगतान करते हुए 04 मीटर की गहराई तक ड्रेजिंग के माध्यम से गाद उत्खनन कराये जाने का प्रस्ताव है। यह कार्य संवेदक को निलामी के माध्यम से 10 वर्षो के लिए आवंटित होगा।

इस योजना के कार्यान्वयन से चांदन जलाशय की 12.83 एम०सी०एम० जल संचयन क्षमता पुनर्स्थापित होगी। साथ ही बिहार सरकार को अनुमानित 10 वर्षों की अवधि में 7536.00 लाख रुपये की राजस्व की प्राप्ति होगी। इसमें जल संसाधन विभाग को 1001.00 लाख रुपये की राशि तथा खान एवं भूतत्व विभाग को 6535.00 लाख रुपये राजस्व की राशि सम्मिलित है। किसी वर्ष अधिक बालू निकाले जाने की स्थिति में राज्य सरकार को प्राप्त होने वाली राजस्व की राशि में वृद्धि होगी।

इस योजना के सफल कार्यान्वयन के पश्चात् राज्य के अन्य जलाशयों, बराजों, नदियों एवं नहरों में जमा बालू/गाद के उत्खनन हेतु इस योजना मॉडल को लागू करने का विचार है।

संतोष 9/1/25

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव

(247)

13

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेस नोट

प्रशिक्षु अधिनियम–1961 (यथा संशोधित) अन्तर्गत राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण योजना में निहित प्रावधानों के आलोक में अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु राज्यान्तर्गत विभिन्न विभागों एवं निगमों में प्रशिक्षुओं को दिये जाने वाले न्यूनतम निर्धारित स्टाइपेंड की राशि डिग्रीधारी एवं डिप्लोमाधारी (तकनीकी) प्रशिक्षुओं हेतु क्रमशः रूपया 9,000/- (नौ हजार) एवं रूपया 8,000/- (आठ हजार) प्रतिमाह को बढ़ाकर रूपया 15,000/- (पन्द्रह हजार) मात्र एवं रूपया 10,000/- (दस हजार) मात्र प्रतिमाह करने की स्वीकृति के संबंध में।

संतोष 8/1/25

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव

प्रेस नोट

प्रस्तावित योजना, जिसकी प्राक्कलित राशि 4022.35 लाख (रुपये चालीस करोड़ बाईस लाख पैंतीस हजार) है, के तहत् दरभंगा जिलान्तर्गत किरतपुर प्रखंड में तेतरी गाँव के समीप पश्चिमी कोशी तटबंध के कि0मी0 38.210 से कि0मी0 38.630 (घोघरडीहा से नीचे) पर ब्रीच क्लोजर का कार्य एवं सुरक्षात्मक कार्य के प्रावधान है ।

पश्चिमी कोशी तटबंध के कि0मी0 38.210 से कि0मी0 38.630 (घोघरडीहा से नीचे) पर ब्रीच क्लोजर का कार्य होने के उपरान्त निकटवर्ती क्षेत्रों के आवासितों को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान हो सकेगी। साथ ही बाढ़ के दौरान बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों की ढुलाई एवं निरीक्षण तथा आम–आवागमन सुगम होगा।

इस प्रकार यह योजना काफी लाभप्रद एवं जनोपयोगी है।

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव,
जल संसाधन विभाग, पटना

15

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेस नोट

भवन निर्माण विभाग के द्वारा महत्वपूर्ण भवनों के 05 वर्षों के लिए समग्र रख–रखाव, हाउसकीपिंग एवं परिचालन हेतु ₹583.25 करोड़ (पांच सौ तेरासी करोड़ पच्चीस लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी।

(कुमार रवि)
सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

16

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेस नोट

भवन निर्माण विभाग के अधीन गैर योजना मद में कुल ₹2,73,96,000/- (दो करोड़ तिहत्तर लाख छियानवे हजार रूपये) मात्र के अनुमानित वार्षिक व्यय पर मुख्य अभियंता (संरचना), पटना एवं निदेशक, निरूपण इकाई (Design Unit), पटना का कार्यालय का गठन तथा केन्द्रीय भवन प्रमंडल, पटना का पुनर्गठन करते हुए उच्चवर्गीय लिपिक के कुल 10 पदों का प्रत्यर्पण एवं आवश्यक कुल 24 पदों का सृजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

मुख्य अभियंता (संरचना), पटना एवं निदेशक, निरूपण इकाई (Design Unit), पटना का कार्यालय का गठन तथा केन्द्रीय भवन प्रमंडल, पटना का पुनर्गठन करते हुए उच्चवर्गीय लिपिक के कुल 10 पदों का प्रत्यर्पण एवं आवश्यक कुल 24 पदों का सृजन की स्वीकृति प्रदान किये के फलस्वरूप बड़ी एवं महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं का ससमय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण, आवासीय एवं गैर–आवासीय भवनों का बेहतर ढँग से मरम्मति एवं रख–रखाव किया जा सकेगा, भवन निर्माण विभाग के द्वारा क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं में तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान किया जा सकेगा तथा योजनाओं के अनुश्रवण को और सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाया जा सकेगा।

(कुमार रवि)
सरकार के सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(17)

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग
प्रेस नोट

भवन निर्माण विभाग अन्तर्गत विद्युत उपभाग का पुनर्गठन करते हुए पूर्व से स्वीकृत उच्चवर्गीय लिपिक के 23 पदों का प्रत्यर्पण एवं गैर योजना मद में ₹6,73,53,360/– (छः करोड़ तिहत्तर लाख तिरेपन हजार तीन सौ साठ रूपये) मात्र के अनुमानित वार्षिक व्यय पर अभियंता प्रमुख (विद्युत) एवं मुख्य विद्युत अभियंता सहित विभिन्न श्रेणी के कुल 72 पदों का सृजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

भवन निर्माण विभाग अन्तर्गत विद्युत उपभाग का पुनर्गठन तथा अभियंता प्रमुख (विद्युत) एवं मुख्य विद्युत अभियंता सहित विभिन्न श्रेणी के कुल 72 पदों का सृजन की स्वीकृति के फलस्वरूप नये भवनों सहित पूर्व निर्मित सभी भवनों के विद्युतीकरण कार्यों, अधिष्ठापित विभिन्न प्रकार के विद्युत उपकरणों, लिफ्टों, ए0सी0 उपकरणों आदि के सुचारू संचालन, समग्र रख–रखाव एवं अनुरक्षण/मरम्मति आदि कार्यों में गति आयेगी। सथ ही विभाग अंतर्गत विद्युतीकरण से संबंधित प्राक्कलन एवं परिमाण विपत्रों की स्वीकृति संबंधी कार्य भी ससमय निष्पादित किया जा सकेगा।

(कुमार रवि)
सरकार के सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(18)

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

।। प्रेस नोट ।।

केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत–2.0) अंतर्गत बिहारशरीफ जलापूर्ति योजना हेतु लागत राशि रू० 1,45,98,64,000/–(एक सौ पैंत्तालीस करोड़ अंठानवें लाख चौंसठ हजार रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(अभय कुमार सिंह),
सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

19

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

।। प्रेस नोट ।।

केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत–2.0) अंतर्गत बेगूसराय जलापूर्ति योजना हेतु लागत राशि रू० 1,32,84,73,000/–(एक सौ बत्तीस करोड़ चौड़ासी लाख तिहत्तर हजार रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(अभय कुमार सिंह),
सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

संचिका संख्या-- 3/एम-33/2024

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

<u>प्रेस नोट</u>

बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली, 2005 में कतिपय उपनियम/स्पष्टीकरण जोड़े जाने तथा नियम–17 के उपनियम–(2) के परन्तुक में प्रयुक्त शब्दों "विभागीय जाँच आयुक्त" तथा "अपर विभागीय जाँच आयुक्त" को क्रमश' "मुख्य जाँच आयुक्त" तथा "जाँच आयुक्त" से प्रतिस्थापित किये जाने हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली, 2025 का गठन किया जायेगा।

14/1/25

(गुफरान अहमद)
सरकार के अपर सचिव।

2-3|58

(21)

संचिका संख्या - 3 / एम० 06 / 2018

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
प्रेस नोट

बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के तहत सरकारी सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के सम्यक संचालन, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण के उद्देश्य से **"मुख्य जाँच आयुक्त निदेशालय"** का गठन किया जायेगा।

14/1/25

(गुफरान अहमद)
सरकार के अपर सचिव।

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

22

प्रेस—नोट

महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक—68104 दिनांक 31.08.2024 द्वारा संसूचित अनुशंसा के आलोक में बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 के अंतर्गत नालन्दा न्यायमंडल के हिलसा में एक अतिरिक्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय की स्थापना हेतु जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश का 01 (एक) पद के सृजन की स्वीकृति का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है।

Rajendra 22.1.2025

(डॉ॰ बी॰ राजेन्दर)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

D:\sec7\07\PAD SRIJAN\PRESS NOTE.docx

संचिका संख्या 3/एम0-31/2023

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेस नोट

बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि नियमावली, 2024 के नियम–3 में प्रावधानित परिवीक्षा अवधि एवं नियम–5 में वरीयता निर्धारण के प्रावधान को संशोधित करने हेतु "**बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि (संशोधन) नियमावली, 2025**" अधिसूचित की जायेगी।

(गुफरान अहमद)
सरकार के अपर सचिव।

(30)

(25)

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेस–नोट

वित्तीय वर्ष 2024–25 मे सारण जिलान्तर्गत जिला मुख्यालय स्तरीय पदाधिकारियों/कर्मियों के (टाईप–A, B, C, D & E) आवास निर्माण हेतु कुल ₹32,06,29,000/– (बत्तीस करोड़ छः लाख उनतीस हजार रूपये) मात्र के तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति।

14.1.2025

(डॉ0 बी0 राजेन्दर)
अपर मुख्य सचिव।

33(171)
10.01.25

25

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेस नोट

"विकसित बिहार के सात निश्चय" योजना में एक निश्चय "अवसर बढ़े, आगे बढ़े" के अन्तर्गत राज्य के तकनीकी शिक्षा के अवसरों को और बढ़ाने एवं युवाओं को राज्य में ही तकनीकी शिक्षा का बेहतर अवसर प्रदान किये जाने के उद्देश्य से राज्य के विभिन्न जिलों यथा–सीवान, सासाराम, बाँका, नालन्दा एवं समस्तीपुर में कुल 05 (पाँच) फार्मेसी महाविद्यालयों की स्थापना की गयी है, जिसमें से कुल–04 फार्मेसी महाविद्यालयों यथा– सीवान, सासाराम, बाँका एवं नालन्दा का संचालन सत्र–2021–2022 से किया गया है। इसके अलावा पूर्व से ही एक फार्मेसी संस्थान (राजकीय फार्मेसी संस्थान, अगमकुँआ, पटना) संचालित है।

राज्य अन्तर्गत संचालित सरकारी फार्मेसी संस्थानों में नियमित नियुक्ति हेतु नियमावली गठन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अतः वर्तमान में पठन–पाठन की कार्रवाई सुगमतापूर्वक एवं सुचारू रूप से संचालन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अतिथि सहायक प्राध्यापकों (Guest Faculty) की सेवा ली जा रही है।

सरकारी फार्मेसी संस्थानों में कार्यरत अतिथि सहायक प्राध्यापकों (Guest Faculty) को वर्तमान में देय मानदेय (1000/–रूपये प्रति घंटी अथवा अधिकतम 35,000/–रूपये प्रति माह) को बढ़ाकर 1500/–(पन्द्रह सौ) रूपये प्रति घंटी अथवा अधिकतम 50,000/– (पचास हजार) रूपये प्रतिमाह किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

9.1.25

(संजय कुमार सिंह)
सचिव।

(26)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेस नोट

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (ऑक्जीलियरी नर्स मिडवाईफ) संवर्ग नियमावली, 2018 एवं बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (ऑक्जीलियरी नर्स मिडवाईफ) संवर्ग नियमावली, 2023 को निरस्त करते हुए "बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (ऑक्जीलियरी नर्स मिडवाईफ) संवर्ग नियमावली, 2025" के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

6/1/25

(संजय कुमार सिंह)
सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

सं0सं0–9/आ0–04–06/2020

डा0 प्रेम प्रकाश शंकर, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, जमुई को दिनांक–27.07.2016 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में विभागीय संकल्प सं0–229(9) दिनांक–31.01.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। विभागीय पत्रांक–696(9) दिनांक–30.08. 2022 द्वारा द्वितीय कारण–पृच्छा की माँग की गयी। द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर अप्राप्त रहने की स्थिति में दैनिक समाचार पत्र में प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में डा0 शंकर को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का विनिश्चय किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–4688 दिनांक–19.02.2024 द्वारा विभागीय दंड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी।

राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा डा0 प्रेम प्रकाश शंकर, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, जमुई को दिनांक–27.07.2016 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप मे सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है।

10.1.25

(शंभू शरण)
सरकार के अपर सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

शंभू शरण
अपर सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

32/50

28

प्रेस नोट

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

सं0सं0–9/आ0–08–02/2020

डा0 नागेन्द्र नाथ, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजनपुर, महिषी, सहरसा को दिनांक–29.06.2017 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में विभागीय संकल्प सं0–171(9) दिनांक–28.01.2019 एवं संशोधित संकल्प सं0–1014(9) दिनांक–11.09.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। विभागीय पत्रांक–698(9) दिनांक–21.05.2020 द्वारा द्वितीय कारण–पृच्छा की माँग की गयी। द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर अप्राप्त रहने की स्थिति में दिनांक–08.12.2020 को दैनिक समाचार पत्र में प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में डा0 नाथ को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का विनिश्चय किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–479 दिनांक–15.05.2024 द्वारा विभागीय दंड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी।

राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा डा0 नागेन्द्र नाथ, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजनपुर, महिषी, सहरसा को दिनांक–29.06.2017 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है।

23.1.25

(शंभू शरण)
सरकार के अपर सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

प्रेस नोट

यातायात नियंत्रण/प्रबंधन, सड़क सुरक्षा, चेक प्वाईंट्स, यातायात नियमों के उल्लंघन के विरूद्ध प्रवर्तन, सड़क दुर्घटना के कांडों का अनुसंधान एवं दावा भुगतान जैसे महती दायित्वों को देखते हुये कार्यहित में पुलिस मुख्यालय में यातायात कार्यों के सुचारू रूप से संचालन हेतु सहायक पुलिस महानिरीक्षक (यातायात) के पद सृजन की स्वीकृति दी गयी है।

सरकार के सचिव
गृह विभाग,
बिहार, पटना

बिहार सरकार
गृह विभाग
प्रेस नोट

(30)

बिहार अग्नि प्रशिक्षण अकादमी, आनंदपुर, बिहटा के अधिष्ठापन हेतु नये भवनों/संरचनाओं यथा **Fire Rescue Tower, Industrial Training Tower, B.A Training Gallery, Model Training Fire Station & Class room, Simulation Building** एवं **Parade Ground & Visitor Gallery** के निर्माण कार्य हेतु कुल तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि ₹ 7669.733 लाख (छिहत्तर करोड़ उनहत्तर लाख तिहत्तर हजार तीन सौ रू0) मात्र की नयी स्कीम की प्रशासनिक स्वीकृति देने के संबंध में।

बिहार अग्नि प्रशिक्षण अकादमी, आनंदपुर, बिहटा में उक्त भवनों के निर्माण से बिहार अग्निशाम सेवा का ढाँचागत सुदृढ़ीकरण होगा एवं प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।

(प्रणव कुमार)
सचिव
14/1/25

29

31

बिहार सरकार
विधि विभाग

मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति हेतु संलेख के निमित्त आत्मभरित टिप्पणी सहित प्रेस नोट।

बांका न्यायमंडल में उत्पाद न्यायालय, वी0डब्लू0डी0 कॉम्पलेक्स, पॉक्सो न्यायालय, परिवार न्यायालय–सह– ए0डी0आर0 भवन, जिला अभियोजन कार्यालय, डिजिटल कम्प्यूटर रूम एवं टॉयलेट कॉम्पलेक्स इत्यादि के निर्माण के निमित्त 4.00.47 एकड़ रैयती भूमि का अर्जन किया जाना है। इसके निमित्त कुल रु0–31,01,30,264/– (एकतीस करोड एक लाख तीस हजार दो सौ चौंसठ रुपये) के प्राक्कलन के आलोक में प्रशासनिक स्वीकृति दिया जाना है।

यह राज्य योजना है और वित्तीय वर्ष 2024–25 में रु0–31,01,30,264/– (एकतीस करोड़ एक लाख तीस हजार दो सौ चौंसठ रुपये) की प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा इस राशि को आवंटित किया जा सकेगा।

भू–अर्जन के उपरांत उक्त भूमि पर उत्पाद न्यायालय, वी0डब्लू0डी0 कॉम्पलेक्स, पॉक्सो न्यायालय, परिवार न्यायालय–सह– ए0डी0आर0 भवन, जिला अभियोजन कार्यालय, डिजिटल कम्प्यूटर रूम एवं टॉयलेट कॉम्पलेक्स इत्यादि के निर्माण होने से न्यायिक आधारभूत संरचना बेहतर होगा तथा उस क्षेत्र के आम जन को त्वरित न्याय मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा।

24.01.25

(अंजनी कुमार सिंह)
सरकार के सचिव, बिहार।

D:\A H\Shankar\Janch Patra\Janchpatra-Press Note.Doc

प्रेस नोट
वित्त विभाग

बिहार उत्पाद रसायन परीक्षक संवर्ग के प्रथम प्रोन्नति सोपान वरीय उत्पाद रसायन परीक्षक के लिए वेतनस्तर–7 एवं द्वितीय प्रोन्नति सोपान मुख्य उत्पाद रसायन परीक्षक के लिए वेतनस्तर–8 की स्वीकृति दी जाती है।

(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव,
वित्त विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

बिहार राज्य के दरभंगा जिलान्तर्गत बेनीपुर अनुमंडल अन्तर्गत अंचल अलीनगर के मौजा–श्रीपुरजगत, थाना नं0–150, मौजा–मुहम्मदपुर, थाना नं0–136 एवं मौजा–सीमा बलहा, थाना नं0–149 को आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तीन ग्रामों (श्रीपुरजगत, मुहम्मदपुर एवं सीमा बलहा) को अंचल अलीनगर से हस्तांतरित कर अंचल कार्यालय बेनीपुर के साथ सम्बद्ध किया जा रहा है।

हस्ताक्षर :–
नाम :– (दीपक कुमार सिंह)
पदनाम :–अपर मुख्य सचिव

31 / 34

संचिका संख्या : 09/बि0वि0प0स0–17/2024
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य स्कीम "विशेष वर्ग कक्ष एवं मासिक परीक्षा" अंतर्गत राज्य के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों की माह सितंबर 2024 तक ली गई मासिक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्रों एवं उत्तर–पुस्तिकाओं के मुद्रण एवं आपूर्ति पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति करने हेतु ₹51,37,97,851/–(इक्यावन करोड़ सैंतीस लाख संतानबे हजार आठ सौ इक्यावन) की स्वीकृति एवं तत्काल ₹50,00,00,000/–(पचास करोड़) की विमुक्ति की स्वीकृति के संबंध में।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मासिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों एवं उत्तर पुस्तकाओं के मुद्रण एवं आपूर्ति पर किये गये व्यय की प्रतिपूति की जा सकेगी।

(बैद्यनाथ यादव)
सचिव।

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

प्रेस नोट

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कम्प्यूटरीकरण के अन्तर्गत आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के क्रियान्वयन इत्यादि मद में स्वीकृत समय–सीमा एवं इस हेतु पूर्व से स्वीकृत राशि के अतिरिक्त सेवा प्रदाता कम्पनी के साथ एकरारनामा के फलस्वरूप तीन वर्षों में कुल राशि 8471.07 लाख (चौरासी करोड़ एकहत्तर लाख सात हजार) रूपये के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

लक्ष्यित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न के उठाव हेतु मानवीय हस्तक्षेप रहित कम्प्यूटराईज्ड एस0आई0ओ0 निर्गत करने, खाद्यान्न का मूल्य आर0टी0 जी0एस0 के माध्यम से जमा करने, डोर स्टेप डिलेवरी योजना के अन्तर्गत जी0पी0एस0 एवं लोड सेलयुक्त वाहनों से खाद्यान्न का परिवहन कराने, वाहन ट्रैकिंग सिस्टम, डेटा सेंटर का डिजाईन, विकास, स्थापना और कमीशनिग, वाहन ट्रेकिंग सिस्टम का संचालन रख–रखाव के साथ–साथ दिन–प्रतिदिन की गतिविधि के प्रबंधन के लिए मानव बल का अनुप्रयोग और आपूर्ति इत्यादि कार्य का संभव हो सकेगा, जिससे लाभुकों को उनकी अनुमान्यता के अनुसार निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न वितरण संभव हो सकेगा।

हस्ताक्षरः–

नामः– डॉ0 एन0 सरवण कुमार

पदनामः– प्रधान सचिव

(36)

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

प्रेस नोट

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत लक्षित जन वितरण प्रणाली के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कम्प्यूटरीकरण (End to End Computerization) के द्वितीय चरण में राज्य में उचित मूल्य के दुकानों का स्वचालन (FPS Automation) योजनान्तर्गत जन वितरण प्रणाली दुकानों में ई–पॉस यंत्र का अधिष्ठापन एवं सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु चयनित प्रणाली समाकलक (System Integrator) लिंकवेल टेलीसिस्टम्स प्रा0लि0 को निविदा शर्तानुसार अगले पाँच वर्षों (01 जनवरी, 2025 से 31 दिसम्बर, 2029) तक अवधि विस्तार एवं उक्त मद में 35239.75 लाख रूपये (तीन सौ बावन करोड़ उनचालीस लाख पचहत्तर हजार रूपये) के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

राज्य के जन वितरण प्रणाली दुकानों में ई–पॉस यंत्र के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पहचान किये गये पात्र लाभुकों को बायोमेट्रिक सत्यापन के पश्चात् पारदर्शी तरीके से निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित होगा एवं अपात्र लाभुकों के राशन कार्ड को रद्द करते हुए नये पात्र लाभुकों को योजना के अन्तर्गत आच्छादन संभव हो सकेगा।

हस्ताक्षरः–

नामः– डॉ0 एन0 सरवण कुमार

पदनामः– प्रधान सचिव

प्रेस नोट

समस्तीपुर जिलान्तर्गत मोहनपुर प्रखंड में पत्थरघाट से हरदासपुर के बीच गंगा नदी पर पीपा पुल का अधिष्ठापन, मरम्मति के पश्चात् लगाने तथा रख–रखाव एवं बरसात के पूर्व खोलकर अगले 5 क्रमिक वर्षो के लिए लगाये जाने तक सुरक्षित रखने एवं रिसेटिंग/रिअरेजिंग संबधित कार्य हेतु कुल राशि 3572.77 लाख (पैंतीस करोड़ बहत्तर लाख सतहत्तर हजार) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

विषयांकित पीपा पुल मोहनपुर प्रखंड के हरदासपुर एवं धरनीपट्टी के बीच गंगा नदी पर लगाने हेतु तैयार किया गया है। 65 सेटों वाले पीपापुल की लंबाई 793 मी. एवं चौड़ाई 8.23 मी. है, जिसमें एक पीपा सेट की लंबाई 12.20मी. है। प्रत्येक वर्ष नदी की भौगोलिक स्थिति बदलते रहने के कारण पहुँच पथों की लंबाई बदलती रहती है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए पीपा पुल के संपर्क पथ में कुल 1550 मी. की लंबाई में ब्रीक सोलिंग एवं 2 अदद जेट्टी का प्रावधान आवागमन की सुविधा के लिए किया गया है।

प्रस्तावित पीपा पुल के स्थापन से मोहनपुर प्रखंड, महनार प्रखंड एवं पटना जिला में लगभग 10 प्रखंडों के लोगों को समाजिक आर्थिक विकास में सहायता मिलेगी। पीपा पुल के निर्माण हो जाने से बख्तियारपुर से मोहनपुर प्रखंड की दूरी 90 कि.मी. से घटकर केवल 15 कि.मी. की रह जायेगी।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

38

बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

प्रेस नोट

संचिका संख्याः–3 / विविध–1077 / 2024

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अन्तर्गत कार्य निरीक्षक (यांत्रिक) संवर्ग के कर्मियों के सुव्यवस्थित प्रबंधन, नियुक्ति तथा सेवा शर्त्तों के विनियमन हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग क्षेत्रीय कार्य निरीक्षक (यांत्रिक) संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2025 की स्वीकृति।

(पंकज कुमार)
प्रधान सचिव

39

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

प्रेस नोट

केन्द्र प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम–सब मिशन योजना (जल जीवन मिशन) के अंतर्गत बक्सर जिलान्तर्गत अत्यधिक आर्सेनिक से प्रभावित सिमरी बहुग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना के निर्माण हेतु 112.57 करोड़ रूपये (एक अरब बारह करोड़ संतावन लाख रूपये) मात्र की राशि पर मूल स्वीकृत योजना का तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कलन की राशि 202.705547 करोड रूपये (दो अरब दो करोड़ सत्तर लाख पचपन हजार चार सौ सत्तर रूपये) मात्र पर पुनरीक्षित योजना की स्वीकृति प्रस्तावित है। इस योजना से बक्सर जिला के सिमरी एवं बक्सर प्रखंडों के अत्यधिक आर्सेनिक से प्रभावित 130 ग्रामों के 36,665 घरों में हर घर नल जल की सुविधा प्रदान कर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो सकेगी।

09/01/2025

(पंकज कुमार)
प्रधान सचिव

बिहार सरकार

पर्यटन विभाग

प्रेस नोट

मंत्रिपरिषद् द्वारा बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, पटना के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन हेतु अभियंत्रण शाखा के अभियंताओं के 49 पद एवं भू–अर्जन विशेषज्ञ पदाधिकारी के 01 (एक) पद सहित निम्नलिखित कुल 50 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है :--

क्र०	पदनाम	आवश्यक पदों की संख्या	स्वीकृत पद	सृजन हेतु प्रस्तावित पद
1.	मुख्य अभियंता	01	—	01
2.	अधीक्षण अभियंता(असैनिक)	01	—	01
3.	भू–अर्जन विशेषज्ञ पदाधिकारी	01	—	01
4.	कार्यपालक अभियंता(असैनिक)	07	01	06
5.	सहायक अभियंता (असैनिक)	16	02	14
6.	कनीय अभियंता(असैनिक)	26	02	24
7.	कनीय अभियंता(विद्युत)	02	01	01
8.	कनीय अभियंता(यांत्रिक)	02	—	02
	कुल	**56**	**06**	**50**

सरकार के सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

(51)

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

नवादा जिलान्तर्गत रजौली अंचल के मौजा–रामदासी, थाना सं0–182 के विभिन्न खाता एवं खेसरा का कुल रकबा–6.00 एकड़ जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना की भूमि किस्म–अनावाद बिहार सरकार एवं अर्जित भूमि, रजौली अनुमण्डलीय व्यवहार न्यायालय भवन एवं न्यायिक पदाधिकारियों के आवास निर्माण हेतु विधि विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :– (signature) 20/11/13
नाम :– (जय सिंह),
पदनाम :– सचिव।

५२

बिहार सरकार
कृषि विभाग।

प्रेस नोट

कृषोन्नति योजना के तहत सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना (आत्मा योजना) अंतर्गत प्रखण्ड, जिला एवं राज्य स्तर पर किसान सलाहकार समिति के गठन एवं दायित्व संबंधी अनुदेश की स्वीकृति दी गई है।

किसानों की सलाह एवं सुझाव से कृषि एवं संबद्ध विभागों की प्रखण्ड, जिला एवं राज्य स्तरीय कार्ययोजना तैयार किये जाने, कृषि एवं संबद्ध विभागों के कार्यों में किसानों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करने एवं कृषि पारिस्थितिकी के अनुरुप फसल योजना तैयार कर किसानों को उससे संबंधित तकनीकी ज्ञान प्रदान की जायेगी। जिससे किसानों की फसलों की उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि होगी और लागत मूल्य कम होगा तथा आय में वृद्धि होगी।

(संजय कुमार अग्रवाल)
सचिव
कृषि विभाग, बिहार,
पटना।

43

बिहार सरकार

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

"प्रेस नोट"

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा शैक्षणिक सत्र 2023–24 में नये पाठ्यक्रम यथा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एवं विद्युत अभियंत्रण में पठन–पाठन का कार्य प्रारंभ एवं कतिपय संस्थानों में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एवं विद्युत अभियंत्रण पाठ्यक्रम में छात्र–छात्राओं की प्रवेश क्षमता में वृद्धि की गई है तथा राजकीय पोलिटेकनिक (टेक्सटाईल टेक्नोलॉजी), भागलपुर में छात्र–छात्राओं को प्रथम/द्वितीय सत्र में Fundamental of Electrical and Electronics Engg. (Common) विषय की पढ़ाई हेतु विद्युत अभियंत्रण पाठ्यक्रम के अंतर्गत व्याख्याता का 01 (एक) पद सृजित किया जाना समीचीन है।

उपरोक्त संस्थान में त्रि–वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रतिवर्ष छात्र–छात्राओं की प्रवेश क्षमता के आधार पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के मापदण्ड (अधिकत्तम छात्र : शिक्षक=25 : 1) के अनुसार स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अधीन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में कुल–22 शैक्षणिक पद (विभागाध्यक्ष–03 एवं व्याख्याता–19) एवं विद्युत अभियंत्रण पाठयक्रम में कुल–33 शैक्षणिक पद (विभागाध्यक्ष–02 एवं व्याख्याता–31) अर्थात कुल–55 (पचपन) शैक्षणिक पद (विभागाध्यक्ष–05 एवं व्याख्याता–50) सृजित किया जाना है।

अतएव विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन संचालित 04 (चार) राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के लिए कुल–22 शैक्षणिक पद (विभागाध्यक्ष–03 एवं व्याख्याता–19) एवं 07 (सात) राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में विद्युत अभियंत्रण पाठयक्रम के लिए कुल–33 शैक्षणिक पद (विभागाध्यक्ष–02 एवं व्याख्याता–31) अर्थात कुल–55 (पचपन) शैक्षणिक पद (विभागाध्यक्ष–05 एवं व्याख्याता–50) के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई।

(डॉ० प्रतिमा)
सचिव

(44)

संचिका संख्याः–Edu/PM Poshan(MDM)Sec-02/21/2024

प्रेस नोट

वित्तीय वर्ष 2024–25 में पी0 एम0 पोषण योजना (मध्याह्न भोजन योजना) अन्तर्गत PAB द्वारा कुल स्वीकृत राशि 81943.06 लाख के आलोक में पूर्व में प्रथम एवं द्वितीय किस्त की निर्गत कुल राशि 26705.94 लाख घटाने के उपरांत अवशेष केन्द्रांश मद की प्रत्याशा में संगत राज्यांश की कुल राशि 55237.12 लाख (पाँच सौ बावन करोड़ सैंतीस लाख बारह हजार रू0 मात्र) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

सचिव
शिक्षा विभाग
बिहार, पटना।

45

बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

प्रेस नोट

वित्तीय वर्ष 2024--25 में अतिरिक्त 42900 (बयालीस हजार नौ सौ) मे0टन भण्डारण क्षमता के सृजन हेतु 200 (दो सौ) मे0टन, 500 (पाँच सौ) मे0टन एवं 1000 (एक हजार) मे0टन प्रति इकाई क्षमता के गोदाम निर्माण के लिए समितियों को 50 (पचास) प्रतिशत अनुदान तथा 50 (पचास) प्रतिशत चक्रीय पूँजी के रूप में कुल रू0 30,89,98,582/– (तीस करोड़ नबासी लाख अनठानवे हजार पाँच सौ बेरासी) मात्र के व्यय की योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी।

(धर्मेन्द्र सिंह)
सचिव।

(46)

प्रेस नोट

कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर सिवान जिलान्तर्गत राज्य उच्च पथ सं०–89 (बबुनिया–सिसवन रोड) पर सिवान यार्ड (सिवान रेलवे स्टेशन) से पंचरूखी रेलवे स्टेशन के बीच अवस्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या– 91 Spl (रेलवे कि०मी० 386/36–38) के बदले आर० ओ० बी० (सड़क उपरि पुल) के निर्माण हेतु राज्यांश राशि ₹4608.25 लाख (रूपये छियालीस करोड़ आठ लाख पच्चीस हजार मात्र) सहित कुल ₹9216.52 लाख (रूपये बानबे करोड़ सोलह लाख बावन हजार मात्र) के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गयी है।

विषयांकित योजना के निर्माण हेतु उत्तर पूर्व मध्य रेलवे, गोरखपुर द्वारा कुल प्राक्कलित राशि ₹9216.52 लाख मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसमें राज्यांश की कुल राशि ₹4608.25 लाख एवं रेलवे अंश की राशि ₹4608.27 लाख मात्र है।

प्रस्तावित सड़क उपरि पुल (आर० ओ० बी०), सिवान यार्ड (सिवान रेलवे स्टेशन) से पंचरूखी रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे कि०मी० 386/36–38 पर है एवं इसका संरेखण राज्य उच्च पथ सं०–89 (बबुनिया–सिसवन रोड) पर अवस्थित है। विदित हो कि पथ एस०एच०–89 सिवान एवं बबुनिया के लिये मुख्य मार्ग है, जो महत्वपूर्ण शहरों एवं कई गॉवों को जोड़ती है।

परियोजना के निर्माणोपरांत रेलवे लाईन के पास जाम की समस्याओं से निजात मिलेगी एवं यातायात सुगम एवं सुरक्षित होगा। अतः परियोजना का निर्माण जनहित के लिए अति महत्त्वपूर्ण एवं जनउपयोगी सिद्ध होगा।

(मिहिर कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

47

26

बिहार सरकार
खेल विभाग
।। प्रेस नोट।।

खेल के क्षेत्र में राज्य ने व्यापक प्रगति की है। खेल के सभी विधाओं में राज्य के खिलाड़ी की उपलब्धि प्रशंसनीय है। राज्य के खिलाड़ी कई राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपनी पहचान बना चुके है। बिहार राज्य में पहली बार महिला विश्व कप कबड्डी चैम्पियनशीप–2025 का आयोजन दिनांक–07.03.2025 से 12.03.2025 तक बिहार राज्य खेल अकादमी, राजगीर में प्रस्तावित है। उक्त प्रस्ताव के आलोक में महिला विश्व कप कबड्डी चैम्पियनशीप–2025 के आयोजन पर होने वाले व्यय की कुल राशि ₹8,25,72,729/–(आठ करोड़ पच्चीस लाख बहत्तर हजार सात सौ उनतीस रूपये) मात्र पर स्वीकृति दी जाती है।

2.2.2025

(डॉ0 बी0 राजेन्दर),
सरकार के अपर मुख्य सचिव,
खेल विभाग, बिहार, पटना।

(35)

(48)

बिहार सरकार

<u>खेल विभाग</u>

।। प्रेस नोट।।

खेल के क्षेत्र में राज्य ने व्यापक प्रगति की है। खेल के सभी विधाओं में राज्य के खिलाड़ी की उपलब्धि प्रशंसनीय है। राज्य के खिलाड़ी कई राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपनी पहचान बना चुके है। बिहार राज्य में पहली बार सेपकटाकरा विश्व कप (महिला एवं पुरूष)–2025 का आयोजन दिनांक–18.03.2025 से 26.03.2025 तक पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, कंकड़बाग, पटना में प्रस्तावित है। उक्त प्रस्ताव के आलोक में सेपकटाकरा विश्व कप (महिला एवं पुरूष)–2025 के आयोजन हेतु समझौता ज्ञापन करने हेतु प्राधिकृत करने तथा व्यय होने वाले कुल राशि ₹13,31,36,000/– (तेरह करोड़ इकतीस लाख छत्तीस हजार रूपये) मात्र पर स्वीकृति दी जाती है।

Rajendra 2.2.2025

(डॉ० बी० राजेन्दर),
सरकार के अपर मुख्य सचिव,
खेल विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार

खेल विभाग

।। प्रेस नोट।।

खेल के क्षेत्र में राज्य ने व्यापक प्रगति की है। खेल के सभी विधाओं में राज्य के खिलाड़ी की उपलब्धि प्रशंसनीय है। राज्य के खिलाड़ी कई राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा विद्यालय, खेलो इण्डिया तथा दिव्यांग खेल के साथ ही अखिल भारतीय स्तर के प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही समय–समय पर केन्द्र सरकार के निदेशानुसार विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन एवं चरणबद्ध तरीकों से प्रतियोगिताओं का आयोजन भी कराया जाता है। राज्य में प्रतियोगिताओं के वृहत आयोजन एवं प्रशिक्षण सुविधा प्रदान किये जाने से युवाओं में खेल के प्रति अभिरूचि बढ़ी है और खेल संस्कृति में वृद्धि हुई है एवं व्यापक सहभागिता का माहौल बना है। खेल विभागीय पदाधिकारियों तथा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय/अंतर विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर सहभागिता वाले अनुभवी खिलाड़ियों/एन0आई0एस0 प्रशिक्षित खेल प्रशिक्षकों द्वारा सुदूर क्षेत्र में प्रतिभावान को प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें बेहतर कोटि में लाने में मदद मिलेगी। खेल के विकास एवं आवश्यक खेल अवसंरचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के विभिन्न प्रमण्डलों/जिलों/प्रखण्डों में अवसंरचनाओं का निर्माण कार्य राज्य सरकार कर रही है।

खेल विभाग, बिहार, पटना को आवंटित कार्यों के संपादन एवं सुगम संचालन हेतु खेल विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत खेल निदेशालय, पटना के कार्यालय का गठन होने से खेल से संबंधित अवसंरचना के निर्माण, जीर्णोद्धार तथा रख–रखाव, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े खेल आयोजन एवं खिलाड़ियों के विकास एवं संवर्द्धन से संबंधित कार्यों का त्वरित गति से निष्पादन होगा।

15.1.2020

(डॉ0 बी0 राजेन्दर),
सरकार के अपर मुख्य सचिव,
खेल विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

।। प्रेस नोट।।

विषयः– आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2 योजना के अधीन मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल में भोजनादि के प्रबंध हेतु जीविका (शहरी) द्वारा संचालित 'दीदी की रसोई' को नामित करने की सहमति दी गई।

(अभय कुमार सिंह),
सरकार के सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

D:\dharmendra\sec-14 (2024-25)\Cabenet Sanlekh\Press note & karyanvayany suchi.doc

51

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

।। प्रेस नोट।।

विषयः— वित्तीय वर्ष 2024—25 में राज्य के 06 नगर निगमों में सी०सी०टी०वी० परियोजना एवं ट्रैफिक सिग्नल प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु कुल ₹48705.81 लाख (चार सौ सतासी करोड़ पाँच लाख इक्यासी हजार रू०) मात्र की लागत की योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी बेल्ट्रॉन को नामित करने तथा बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम 131 ज्ञ(छ) के आलोक में नामांकन (Nomination) के आधार पर सर्वश्री M/S iHUB Divyasampark @ IIT Roorkee को परियोजना लागत की कुल 1.6 प्रतिशत अर्थात् कुल ₹779.29296 लाख (सात करोड़ उनासी लाख उनतीस हजार दो सौ छियानवे रू०) मात्र के परामर्शी शुल्क पर परियोजना परामर्शी नामित करने की सहमति दी गई।

14/1/25

(अभय कुमार सिंह),
सरकार के सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

D:\dharmendra\sec-14 (2024-25)\Cabenet Sanlekh\Press note & karyanvayany suchi.doc

52

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेस नोट

श्री बैद्यनाथ यादव, भा०प्र०से० (2007), सचिव, शिक्षा विभाग को उनकी सेवानिवृति की तिथि दिनांक 28.02.2025 के पश्चात् सचिव, शिक्षा विभाग के पद के विरूद्ध सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–10000 दिनांक 10.07.2015 के कंडिका–3(1) के परन्तुक को शिथिल करते हुए संकल्प के अन्य सुसंगत प्रावधानों के आलोक में संविदा पर 01 (एक) वर्ष के लिए नियोजन के संबंध में।

(डॉ० एस० सिद्धार्थ)
अपर मुख्य सचिव,
शिक्षा विभाग।

53

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेस नोट

श्री पंकज कुमार, भा०प्र०से० (2010), निदेशक, प्राथमिक शिक्षा को उनकी सेवानिवृति की तिथि दिनांक 28.02.2025 के पश्चात् निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के पद के विरूद्ध सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–10000 दिनांक 10.07.2015 के कंडिका–3(1) के परन्तुक को शिथिल करते हुए संकल्प के अन्य सुसंगत प्रावधानों के आलोक में संविदा पर 01(एक) वर्ष के लिए नियोजन के संबंध में।

(डॉ० एस० सिद्धार्थ)
अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग

54

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

।। प्रेस नोट ।।

विषयः– माननीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के आलोक में नगर परिषद्, हाजीपुर क्षेत्र से जल निकासी के लिए हाजीपुर स्ट्रॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना फेज–1 तथा हाजीपुर स्ट्रॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना फेज–2 की सेंटेज सहित राशि क्रमशः ₹6732.24366 लाख (सड़सठ करोड़ बत्तीस लाख चौबीस हजार तीन सौ छियासठ रू०) मात्र तथा ₹6241.91539 लाख (बासठ करोड़ एकतालीस लाख एकानवे हजार पाँच सौ उनचालीस रू०) मात्र अर्थात् कुल ₹12974.15905 लाख (एक सौ उनतीस करोड़ चौहत्तर लाख पंद्रह हजार नौ सौ पाँच रू०) मात्र की स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी के रूप में राज्य सरकार के उपक्रम बुडको को नामित करने की स्वीकृति दी गई।

16/1/25

(अभय कुमार सिंह),
सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

(55)

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

।। प्रेस नोट ।।

विषयः— माननीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के आलोक में नगर निगम, दरभंगा क्षेत्रान्तर्गत गंगासागर, हराही एवं दिग्घी झीलों के **Rejuvenation** हेतु कुल राशि ₹7528.21262 लाख (पचहत्तर करोड़ अठाईस लाख ईक्कीस हजार दो सौ बासठ रू0) मात्र की योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी के रूप में राज्य सरकार के उपक्रम बुडको को नामित करने की स्वीकृति दी गई।

16/1/25

(अभय कुमार सिंह),
सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

E:\Cabenet Sanlekh\Press note & karyanvayany suchi.doc

56

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

।। प्रेस नोट ।।

प्रगति यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा के क्रम में केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत–2.0) अंतर्गत कटिहार जलापूर्ति परियोजना हेतु लागत राशि रूपये 1,50,30,09,000/–(एक सौ पचास करोड़ तीस लाख नौ हजार रू०) की प्रशासनिक स्वीकृतिप्रदान की गयी है।

कटिहार जलापूर्ति परियोजना अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य :–

34166 गृह जल संयोजन के लिए 6 ट्यूब्वेल, 6 क्लोरीनेटर प्रणाली के साथ पम्प हाउस, 5 ऑयरन रिमूवल प्लांट, 6 जलमिनार, 6 जलमिनार कैम्पस, 3.70 कि0मी0 राइजिंग मेन एवं 205.67 कि0मी0 जल वितरण नेटवर्क कार्य किया जायेगा, जिससे कटिहार शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को जलापूर्ति सुविधा प्राप्त होगी।

30/11/25

(अभय कुमार सिंह),
सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

।। प्रेस नोट।।

विषयः– माननीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के आलोक में नगर निगम, दरभंगा क्षेत्रान्तर्गत बस स्टैंड निर्माण हेतु कुल राशि ₹8377.88230 लाख (तिरासी करोड़ सतहत्तर लाख अठासी हजार दो सौ तीस रू०) मात्र की दरभंगा बस स्टैंड निर्माण योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी के रूप में राज्य सरकार के उपक्रम बुडको को नामित करने की स्वीकृति दी गई।

(अभय कुमार सिंह),
सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

E:\Cabenet Sanlekh\Press note & karyanvayany suchi.doc

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

।। प्रेस नोट ।।

विषयः– माननीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा से संबंधित नगर निगम, पूर्णियाँ क्षेत्रान्तर्गत अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल निर्माण हेतु कुल राशि ₹5603.14900 लाख (छप्पन करोड़ तीन लाख चौदह हजार नौ सौ रू०) मात्र की पूर्णियाँ अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल निर्माण योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी के रूप में राज्य सरकार के उपक्रम बुडको को नामित करने की स्वीकृति दी गई।

1/1/25

(अभय कुमार सिंह),
सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

E:\Cabenet Sanlekh\Press note & karyanvayany suchi.doc

59

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

प्रेस नोट

विभागीय संकल्प सं0–4995 दिनांक 22.09.2023, संकल्प सं0–1259 दिनांक 13.09.2024 एवं संकल्प सं0–1718 दिनांक 15.11.2024 के आलोक में "मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत एक नये अवयव के रुप में स्वीकृत "ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम" के अनुसूचित जाति घटक अंतर्गत राज्य में पंचवर्षीय अनुरक्षण/ डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि से बाहर एवं भविष्य में बाहर होने वाले सभी ग्रामीण पथों का पुनर्निर्माण/उन्नयन/ नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) किया जाना है।

"मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के अनुसूचित जाति घटक के अधीन समस्तीपुर जिला के कार्य प्रमंडल–समस्तीपुर अंतर्गत पथ "एन0एच0–28 छोटी बेझाडीह से कन्हैया चौक भाया शीतलपट्टी, महादेव चौक तक बाईपास सड़क का निर्माण (पार्ट–ए) एम0डी0आर0–टी01 से हकीमाबाद तक बाईपास सड़क का निर्माण (पार्ट–बी)", कुल लम्बाई–11.558 कि0मी0 के पुनर्निर्माण/ उन्नयन/ नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रू0 31.89058 करोड़ रूपये (इक्तीस करोड़ नवासी लाख पाँच हजार आठ सौ रूपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति पर निर्णय लिया गया।

इस योजना का उद्देश्य समस्तीपुर जिला में आम जनता को यातायात के लिए अधिक गतिशीलता एवं सुगमता प्रदान करते हुए सामाजिक, आर्थिक, ग्राम नगरीकरण गतिविधियों के सृजन एवं चहुँमुखी विकास हेतु ग्रामीण ढाँचागत व्यवस्था में गुणात्मक सुधार किया जा सकेगा।

Rajendra 1.2.2025

(डॉ0 बी0 राजेन्दर)
अपर मुख्य सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग।

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

प्रेस नोट

विभागीय संकल्प सं0–4995 दिनांक 22.09.2023, संकल्प सं0–1259 दिनांक 13.09.2024 एवं संकल्प सं0–1718 दिनांक 15.11.2024 के आलोक में "मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत एक नये अवयव के रुप में स्वीकृत "ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम" के अनुसूचित जाति घटक अंतर्गत राज्य में पंचवर्षीय अनुरक्षण/ डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि से बाहर एवं भविष्य में बाहर होने वाले सभी ग्रामीण पथों का पुनर्निर्माण/उन्नयन/ नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) किया जाना है।

"मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के अनुसूचित जाति घटक के अधीन मधेपुरा जिला के कार्य प्रमंडल– उदाकिशुनगंज अंतर्गत पथ "चौसा मुरली चौक से योगीराज भाया कृष्णा टोला पॉलिटेक्निक, वंश गोपाल", लम्बाई– 14.90 कि0मी0 के पुनर्निर्माण/ उन्नयन/नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रू0 32.80273 करोड़ रूपये (बत्तीस करोड़ अस्सी लाख सत्ताईस हजार तीन सौ रूपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति पर निर्णय लिया गया।

इस योजना का उद्देश्य मधेपुरा जिला में आम जनता को यातायात के लिए अधिक गतिशीलता एवं सुगमता प्रदान करते हुए सामाजिक, आर्थिक, ग्राम नगरीकरण गतिविधियों के सृजन एवं चहुँमुखी विकास हेतु ग्रामीण ढाँचागत व्यवस्था में गुणात्मक सुधार किया जा सकेगा।

(डॉ0 बी0 राजेन्दर)
अपर मुख्य सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग।

बिहार सरकार

पर्यटन विभाग

प्रेस नोट

61

प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के आलोक में मधेपुरा जिलान्तर्गत सिहेंश्वर स्थान को पर्यटकीय दृष्टिकोण से विकसित करने हेतु प्राक्कलित राशि 90,27,13,000/-(नब्बे करोड़ सताईस लाख तेरह हजार) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

मधेपुरा जिले में अवस्थित सिहेंश्वर स्थान धार्मिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। प्रगति यात्रा के दौरान इस स्थल के पर्यटकीय विकास की घोषणा की गयी है। इसके आलोक में 9027.13 लाख रूपये की वृहद कार्य-योजना तैयार की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य प्रस्तावित है :-

- धर्मशाला, फुड कोर्ट तथा ऑफिस एवं मार्केट कॉम्प्लेक्स का निर्माण।
- मंडप क्षेत्र एवं मेडिटेशन हट का विकास।
- दुकानें, चहारदिवारी, शौचालय ब्लॉक, पाथवे, पार्किग, मंच के साथ ग्रीन रूम, थिमेंटिक गेट तथा सोलर फोटो वोल्टीक पावर प्लांट का निर्माण।
- सोलर स्ट्रीट लाईट एवं डेकोरेटिव स्ट्रीट लाईट, आर्ट वर्क, एल. ई. डी. हाई मास्ट लाईट, साईनेज, बेंच, तथा डस्टबीन का अधिष्ठापन एवं संचालन।
- लैण्डस्केपिंग तथा साईट के विकास एवं सौन्दर्यीकरण से संबंधित अन्य कार्य।

योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जायेगा। इस स्थल का पर्यटकीय दृष्टिकोण से विकास किये जाने उपरांत पर्यटकों के आवागमन प्रवाह में वृद्धि होगी। साथ ही इस स्थल के आस-पास आर्थिक गतिविधियों में भी बढ़ोत्तरी होगी, जो रोजगार एवं व्यापार की नई संभावनाएँ सृजित करेगा। उक्त परिपेक्ष्य में उल्लेखित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

सरकार के सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना
7/04/25

बिहार सरकार

पर्यटन विभाग

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के आलोक में पूर्णिया जिलान्तर्गत पूरन देवी मंदिर को पर्यटकीय दृष्टिकोण से विकसित करने हेतु प्राक्कलित राशि 34,08,10,000/–(चौतीस करोड़ आठ लाख दस हजार) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

पूर्णिया जिले के पुरन देवी मंदिर का एक विशेष ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व है। प्रगति यात्रा के दौरान इस मंदिर के परिसर का विकास एवं सौन्दर्यीकरण करने की घोषणा की गयी है। इसके आलोक में 3408.10 लाख रूपये की कार्य योजना तैयार की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत चाहरदिवारी, फुटओवरब्रिज, मल्टी स्टोरेज भवन, गेस्ट हाउस, कैफेटेरिया, शौचालय ब्लॉक, लोटस पेटल सेप्ड गजीबो तथा साईट के विकास से संबंधित अन्य कार्य किया जाना प्रस्तावित है। योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जायेगा।

इस स्थल का पर्यटकीय दृष्टिकोण से विकास किये जाने उपरांत पर्यटकों के आवागमन प्रवाह में वृद्धि होगी। साथ ही इस स्थल के आस–पास आर्थिक गतिविधियों में भी बढ़ोत्तरी होगी, जो रोजगार एवं व्यापार की नई संभावनाएँ सृजित करेगा। उक्त परिपेक्ष्य में उल्लेखित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

सरकार के सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना
01/04/2025

बिहार सरकार

पर्यटन विभाग

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के आलोक में मधुबनी जिलान्तर्गत फुलहर स्थान, हरलाखी को पर्यटकीय दृष्टिकोण से विकसित करने हेतु प्राक्कलित राशि 31,13,55,000/–(इकतीस करोड़ तेरह लाख पचपन हजार) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड में अवस्थित भगवान एवं सीता माता की प्रथम मिलन स्थली फुलहर स्थान का एक विशेष धार्मिक महत्व है। इस स्थल के विकास हेतु प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के आलोक में 3113.55 लाख रूपये की कार्य योजना तैयार की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत मुख्यतः पार्किंग क्षेत्र, चहारदिवारी, कैफेटेरिया, शौचालय – ब्लॉक, गार्ड, टिकट एवं प्रवेश परगोला तथा गजीबो (GAZEBO) का निर्माण, घाट का विकास और लेजर फाउन्टेन शो की व्यवस्था तथा साईट के विकास से संबंधित कार्य किये जायेगे। इस योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के द्वारा अगामी 24 माह में पूर्ण किये जाने की संभावना है।

इस योजना के क्रियान्वयन के फलस्वरूप उक्त स्थल पर आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी वृद्धि होगी तथा स्थानीय स्तर पर भी रोजगार का सृजन होगा। उक्त परिपेक्ष्य में उल्लेखित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

सरकार के सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना

बिहार सरकार

पर्यटन विभाग

प्रेस नोट

मंत्रिपरिषद् द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के क्रियान्वयन के क्रम में पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत सोमेश्वरनाथ मंदिर, अरेराज में पर्यटकीय विकास कार्य हेतु प्राक्कलित राशि 54,22,60,300/--रूपये, दो अद्द पुल निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि 15,79,58,000/–रूपये के साथ कुल राशि 70,02,18,300/– (सत्तर करोड़ दो लाख अठारह हजार तीन सौ) रूपये एवं पथ निर्माण विभाग द्वारा पथ प्रमंडल मोतिहारी अन्तर्गत अरेराज शिव मंदिर से फतुहा चौक पथ के कि.मी. 0.00 से 10.30 कि.मी. के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु प्राक्कलित राशि 36,52,05,000/– (छत्तीस करोड़ बावन लाख पाँच हजार) रूपये कुल योग 106,54,23,300/– (एक अरब छः करोड़ चौवन लाख तेइस हजार तीन सौ) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

- सोमेश्वरनाथ मंदिर, अरेराज में पर्यटकीय विकास कार्य हेतु प्राक्कलित राशि 54,22,60,300/–रूपये की योजना के अन्तर्गत बाउन्ड्री वॉल, प्रवेश द्वार, शौचालय ब्लॉक, गेस्ट हाउस का निर्माण, स्थलीय विकास, गार्ड/टिकट एवं प्रवेश परगोला, गजीबो, बैंक्वेट हॉल, पार्किंग, चेंजिंग रूम, एमिनिटिज हॉल, पूर्व अवस्थित गेस्ट हाउस का जीर्णोद्धार, लाईट एवं साउण्ड शो, गेस्ट हाउस का आंतरिक सुसज्जीकरण एवं अन्य कार्य इत्यादि किया जाना प्रस्तावित है। योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जायेगा। साथ ही दो अद्द पुल निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि 15,79,58,000/–रूपये के अन्तर्गत सोमेश्वर नाथ मंदिर में पर्यटकों के सुलभ पहूँच हेतु 02 अद्द RCC ब्रिज का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। उक्त दो पुल निर्माण की योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० द्वारा किया जायेगा। इन दोनो योजना पर होने वाले व्यय का वहन पर्यटन विभाग द्वारा राज्य स्कीम मद् से किया जायेगा।
- पथ निर्माण विभाग द्वारा पथ प्रमंडल मोतिहारी अन्तर्गत अरेराज शिव मंदिर से फतुहा चौक पथ के कि.मी. 0.00 से 10.30 कि.मी. के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु प्राक्कलित राशि 36,52,05,000/– रूपये का कार्य प्रस्तावित है। योजना का कार्यान्वयन पथ निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा। योजना पर होने वाले व्यय का वहन पथ निर्माण विभाग द्वारा पथ निर्माण विभाग अन्तर्गत बजटीय प्रावधान से किया जायेगा।

सरकार के सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार

पर्यटन विभाग

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के क्रियान्वयन के क्रम में समस्तीपुर जिलान्तर्गत मुक्तापुर मोईन झील के झील–तट का पर्यटकीय दृष्टिकोण से विकास हेतु प्राक्कलित राशि 37,96,93,100/– (सैतीस करोड़ छियानबे लाख तिरानवे हजार एक सौ) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं उक्त स्थल को निर्मित संरचनाओं के साथ संचालन हेतु निजी एजेंसी को नियमानुसार लीज पर प्रदान करने की स्वीकृति के संबंध में।

समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर प्रखंड में अवस्थित मुक्तापुर मोईन झील 51 एकड़ के विस्तृत भू–भाग में फैला हुआ है। प्रगति यात्रा के दौरा की गयी घोषणा के आलोक में इस झील को मिथिला हाट की तर्ज पर विकसित किया जाना है। इस योजना के अन्तर्गत पार्किंग क्षेत्र और प्रवेश फोयर, फुड–कोर्ट भवन, हाट एवं शौचालय कॉम्पलेक्स, चिल्ड्रेन पार्क, मिडिल पार्क, वॉटर स्पोर्टस् कॉम्पलेक्स तथा जेट्टी का निर्माण, एम०ई०पी० (MEP) सर्विसेज, लैण्ड स्केपिंग, सेल्फ पैडल नौकाओं की आपूर्ति एवं संचालन तथा अन्य संबंधित कार्य किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के द्वारा किया जायेगा।

इस स्थल के पर्यटकीय विकास के फलस्वरूप पर्यटकों के आवागमन में वृद्धि होगी साथ ही आस–पास आर्थिक गतिविधियों में भी बढ़ोत्तरी होगी। उक्त परिपेक्ष्य में उल्लेखित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

सरकार के सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

66

बिहार सरकार

पर्यटन विभाग

प्रेस नोट

मंत्रिपरिषद् द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के क्रियान्वयन के क्रम में दरभंगा जिलान्तर्गत कुशेश्वर स्थान के विकास हेतु प्राक्कलित राशि 44,03,26,000/– (चौवालिस करोड़ तीन लाख छब्बीस हजार) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

इस योजना के अन्तर्गत भवन का निर्माण, दुकान, शौचालय, पंडा निवास, साईट का विकास, चहारदिवारी का निर्माण, हाई मास्ट लाईट, सोलर पावर जेनरेशन सिस्टम, अन्य कार्य इत्यादि किया जाना प्रस्तावित है। योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जायेगा। मुख्य अभियंता, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, बिहार, पटना द्वारा उक्त योजना की प्राक्कलित राशि– 44,03,26,000/–रूपये मात्र पर दिनांक 23.01.2025 को तकनीकी अनुमोदन प्रदान किया गया है।

सरकार के सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।
27/1/2025

बिहार सरकार

पर्यटन विभाग

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के आलोक में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर सोनपुर अवस्थित बाबा हरिहरनाथ मंदिर क्षेत्र के समग्र विकास हेतु मुख्य परामर्शी (Principal Consultant) के रूप में एच. सी. पी. डिजाईन प्लानिंग एण्ड मैनेजमेंट Pvt. Ltd., अहमदाबाद का मनोनयन के आधार पर चयन एवं इस कार्य हेतु होने वाले व्यय के वहन की स्वीकृति के संबंध में।

सारण जिलान्तर्गत सोनपुर में अवस्थित बाबा हरिहरनाथ मंदिर ऐतिहासिक, पौराणिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। इस मंदिर के आस–पास के परिक्षेत्र में विश्वप्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला का आयोजन प्रति वर्ष होता है। इस मेले में लाखों की संख्या में देशी एवं विदेशी पर्यटकों का आगमन होता है। इस परिक्षेत्र का समग्र विकास राज्य में पर्यटकों के लिए अधिकाधिक संख्या में मेला अवधि के दौरान ही नहीं बल्कि पूरे वर्ष के दौरान भ्रमण हेतु आकर्षण का केन्द्र बन सकता है। प्रगति यात्रा के दौरान इस मंदिर क्षेत्र का समग्र विकास किये जाने की घोषण की गयी है। इसके आलोक में इस स्थल पर पर्यटकों को बेहतर गुणवत्तापूर्ण पर्यटकीय सुविधाएँ उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से इस मंदिर परिक्षेत्र को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, वाराणसी के तर्ज पर विकसित किये जाने की आवश्यकता है।

इस हेतु काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के मुख्य परामर्शी एच. सी. पी. डिजाईन प्लानिंग एण्ड मैनेजमेंट Pvt. Ltd., अहमदाबाद का उक्त मंदिर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए मुख्य परामर्शी के रूप में मनोनयन के आधार पर चयन किये जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

सरकार के सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना

बिहार सरकार

ऊर्जा विभाग

68

प्रेस नोट

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा "प्रगति यात्रा" के क्रम में किये गये घोषणा के आलोक में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 के अन्तर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु समस्तीपुर जिले के वारिसनगर प्रखंड में एक नये 2X80 एम0भी0ए0 क्षमता वाली ग्रिड सब–स्टेशन का निर्माण एवं 132 के0भी0 दरभंगा(शोभन)–समस्तीपुर संचरण लाईन एक सर्किट का वारिसनगर में एल0आई0एल0ओ0 के निर्माण हेतु 135.00 करोड़ (एक सौ पैंतीस करोड़) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृत राशि का 20% अर्थात 27.00 करोड़ (सताईस करोड़) रूपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप एवं शेष 80% अर्थात 108.00 करोड़ (एक सौ आठ करोड़) रूपये राज्य सरकार की गारंटी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान किया जाना आवश्यक है।

उक्त आलोक में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा "प्रगति यात्रा" के क्रम में किये गये घोषणा के आलोक में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 के अन्तर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु समस्तीपुर जिले के वारिसनगर प्रखंड में एक नये 2X80 एम0भी0ए0 क्षमता वाली ग्रिड सब–स्टेशन का निर्माण एवं 132 के0भी0 दरभंगा(शोभन)–समस्तीपुर संचरण लाईन एक सर्किट का वारिसनगर में एल0आई0एल0ओ0 के निर्माण हेतु 135.00 करोड़ (एक सौ पैंतीस करोड़) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृत राशि का 20% अर्थात 27.00 करोड़ (सताईस करोड़) रूपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप एवं शेष 80% अर्थात 108.00 करोड़ (एक सौ आठ करोड़) रूपये राज्य सरकार की गारंटी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(पंकज कुमार पाल)

सरकार के सचिव।

बिहार सरकार

ऊर्जा विभाग

प्रेस नोट

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ''प्रगति यात्रा'' के क्रम में किये गये घोषणा के आलोक में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड के अन्तर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु मधेपुरा जिले के चौसा प्रखण्ड में एक नये 2X80 एम०वी०ए० क्षमता वाली 132/33 के०वी० ग्रिड सब–स्टेशन का निर्माण, 132 के०वी० चौसा–उदाकिशनगंज एवं चौसा–भवानीपुर संचरण लाईन, ग्रिड सब–स्टेशन उदाकिशनगंज एवं भवानीपुर में 132 के०वी० के दो लाईन 'बे' के निर्माण हेतु 132.72 करोड़ (एक सौ बत्तीस करोड़ बहत्तर लाख) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृत राशि का 20% अर्थात 26.54 करोड़ (छब्बीस करोड़ चौबन लाख) रूपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप एवं शेष 80% अर्थात 106.18 करोड़ (एक सौ छः करोड़ अठारह लाख) रूपये राज्य सरकार की गारंटी पर विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान किया जाना आवश्यक है।

उक्त आलोक में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ''प्रगति यात्रा'' के क्रम में किये गये घोषणा के आलोक में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड के अन्तर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु मधेपुरा जिले के चौसा प्रखण्ड में एक नये 2X80 एम०वी०ए० क्षमता वाली 132/33 के०वी० ग्रिड सब–स्टेशन का निर्माण, 132 के०वी० चौसा–उदाकिशनगंज एवं चौसा–भवानीपुर संचरण लाईन, ग्रिड सब–स्टेशन उदाकिशनगंज एवं भवानीपुर में 132 के०वी० के दो लाईन 'बे' के निर्माण हेतु 132.72 करोड़ (एक सौ बत्तीस करोड़ बहत्तर लाख) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृत राशि का 20% अर्थात 26.54 करोड़ (छब्बीस करोड़ चौबन लाख) रूपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप एवं शेष 80% अर्थात 106.18 करोड़ (एक सौ छः करोड़ अठारह लाख) रूपये राज्य सरकार की गारंटी पर विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(पंकज कुमार पाल)
सरकार के सचिव।

70

बिहार सरकार

ऊर्जा विभाग

प्रेस नोट

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ''प्रगति यात्रा'' के क्रम में किये गये घोषणा के आलोक में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के क्षेत्राधीन 03 अद्द 33/11 के0वी0, 2X10 एम0वी0ए0 क्षमता के नये विद्युत शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण हेतु 35.79 करोड़ (पैंतीस करोड़ उनासी लाख) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति प्रदान किया जाना आवश्यक है।

उक्त आलोक में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ''प्रगति यात्रा'' के क्रम में किये गये घोषणा के आलोक में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के क्षेत्राधीन 03 अद्द 33/11 के0वी0, 2X10 एम0वी0ए0 क्षमता के नये विद्युत शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण हेतु 35.79 करोड़ (पैंतीस करोड़ उनासी लाख) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(पंकज कुमार पाल)
सरकार के सचिव।

71

बिहार सरकार

ऊर्जा विभाग

प्रेस नोट

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा "प्रगति यात्रा" के क्रम में किये गये घोषणा के आलोक में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कंपनी लिमिटेड के अन्तर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु सीवान जिले के मैरवा प्रखण्ड में एक नये 2X200+2X80 एम0भी0ए0 क्षमता वाली ग्रिड सब–स्टेशन का निर्माण, संबंधित 220 के0भी0 डी0सी0डी0एस0 छपरा (नया 400/220/132 के0भी0)–मैरवा संचरण लाईन, 132 के0भी0 डी0सी0डी0एस0 मैरवा–भोरे संचरण लाईन एवं 132 के0भी0 डी0सी0डी0एस0 मैरवा–रघुनाथपुर संचरण लाईन एवं ग्रिड उपकेन्द्र छपरा (नया 400/220/132 के0भी0), रघुनाथपुर एवं भोरे में संबंधित लाईन 'बे' के निर्माण हेतु 517.05 करोड़ (पॉच सौ सत्रह करोड़ पॉच लाख) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति एवं उक्त राशि का 20% अर्थात 103.41 करोड़ (एक सौ तीन करोड़ एकतालीस लाख) रूपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप एवं शेष 80% अर्थात 413.64 करोड़ (चार सौ तेरह करोड़ चौसठ लाख) रूपये राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान किया जाना आवश्यक है।

उक्त आलोक में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा "प्रगति यात्रा" के क्रम में किये गये घोषणा के आलोक में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कंपनी लिमिटेड के अन्तर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु सीवान जिले के मैरवा प्रखण्ड में एक नये 2X200+2X80 एम0भी0ए0 क्षमता वाली ग्रिड सब–स्टेशन का निर्माण, संबंधित 220 के0भी0 डी0सी0डी0एस0 छपरा (नया 400/220/132 के0भी0)–मैरवा संचरण लाईन, 132 के0भी0 डी0सी0डी0एस0 मैरवा–भोरे संचरण लाईन एवं 132 के0भी0 डी0सी0डी0एस0 मैरवा–रघुनाथपुर संचरण लाईन एवं ग्रिड उपकेन्द्र छपरा (नया 400/220/132 के0भी0), रघुनाथपुर एवं भोरे में संबंधित लाईन 'बे' के निर्माण हेतु 517.05 करोड़ (पॉच सौ सत्रह करोड़ पॉच लाख) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति एवं उक्त राशि का 20% अर्थात 103.41 करोड़ (एक सौ तीन करोड़ एकतालीस लाख) रूपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप एवं शेष 80% अर्थात 413.64 करोड़ (चार सौ तेरह करोड़ चौसठ लाख) रूपये राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(पंकज कुमार पाल)
सरकार के सचिव।

72

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेस नोट

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के आलोक में उग्रनाथ शाखा नहर के कि0मी0 36.63 से कि0मी0 70.26 तक का विस्तारीकरण कार्य जिसकी प्राक्कलित राशि रू0 48160.48 लाख (चार सौ इक्कासी करोड़ साठ लाख अड़तालीस हजार) मात्र है, की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव है।

उग्रनाथ शाखा नहर पश्चिमी कोशी मुख्य नहर के कि0मी0 43.09 (बायाँ) से निकलती है। अनुसंधान प्रतिवेदन के अनुसार उग्रनाथ शाखा नहर की कुल लम्बाई 8 रीच में 70.26 कि0मी0 है, जिसमें वर्तमान में केवल 4 रीच में 36.63 कि0मी0 की लम्बाई में नहर निर्मित है। अगले 4 रीच में नहर के शेष भाग को 70.26 कि0मी0 तक बनाया जाना प्रस्तावित है।

इस नहर की कुल लम्बाई 70.26 कि0मी0 में कुल सी0सी0ए0 36750 हे0 है। वर्तमान में 36.63 कि0मी0 की लम्बाई में नहर निर्मित है एवं निर्मित हिस्से का सी0सी0ए0 17667 हे0 है। निर्मित नहर प्रणाली से मुख्य रुप से मधुबनी जिला अन्तर्गत खजौली, राजनगर एवं पंडौल प्रखंड के कृषक को सिंचाई सुविधा मुहैया करायी जाती है।

उग्रनाथ शाखा नहर का विस्तारीकरण 36.63 कि0मी0 से 70.26 कि0मी0 अर्थात् कुल 33.63 कि0मी0 की लम्बाई में किये जाने से 19083 हे0 सी0सी0ए0 सृजित होगी जिससे दरभंगा जिला के मनीगाछी एवं बेनीपुर प्रखंड के कृषक लाभान्वित होंगे।

योजना की प्राक्कलित राशि रूपया 48160.48 लाख (चार सौ इक्कासी करोड़ साठ लाख अड़तालीस हजार) मात्र है। इस योजना को वित्तीय वर्ष 2026–27 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

संतोष 21/1/25

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग

प्रेस नोट

प्रस्तावित योजना, जिसकी प्राक्कलित राशि रू० 28655.00 लाख (दो सौ छियासी करोड़ पचपन लाख) मात्र है, जिसमें सीतामढ़ी/शिवहर जिलान्तर्गत प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के आलोक में सीतामढ़ी सदर अनुमंडल में बागमती बायें तटबंध के कि0मी0 0.00 से कि0मी 07.27, बायें एफ्लक्स बांध के कि0मी0 0.00 से कि0मी0 8.04, दायें तटबंध के कि0मी0 0.00 से कि0मी0 9.72, दोआब तटबंध के कि0मी0 9.00 से कि0मी0 10.00 एवं बैरगनियाँ रिंग बांध के कि0मी0 0.00 से कि0मी0 6.60 का बी.आई.एस. कोड एवं नए एच.एफ.एल. 2024 के अनुसार उच्चीकरण, सुदृढीकरण, सुरक्षात्मक एवं कालीकरण कार्य का प्रावधान है।

इस योजना के कार्यान्वयन से सीतामढ़ी सदर अनुमंडल अन्तर्गत मेजरगंज, सुप्पी एवं बैरगनियाँ प्रखंडों में बागमती एवं लालबकिया नदी से उत्पन्न बाढ़ से बचाव में मदद् मिलेगी। साथ ही बाढ़ से होने वाले जान–माल के नुकसान को रोका जा सकेगा।

इस प्रकार यह योजना काफी लाभप्रद एवं जनोपयोगी है।

संतोष 16/1/25

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग, पटना

प्रेस नोट

प्रस्तावित योजना, जिसकी प्राक्कलित राशि रू० 137809.67 लाख (तेरह सौ अठहत्तर करोड़ नौ लाख सड़सठ हजार रूपये मात्र) है, जिसमें सीतामढ़ी जिलान्तर्गत प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के आलोक में सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर एवं पूर्वी चम्पारण जिले में बाढ़ से बचाव के लिए बागमती नदी के दायें तटबंध 15.24 कि०मी० से 79.00 कि०मी०, बायें तटबंध के 7.270 कि०मी० से 81.19 कि०मी०, भरथुआ रिंग बांध 0.00 कि०मी० से 2.13 कि०मी० एवं धनौर कटरा रिंग बांध 0.00 कि०मी० से 4.70 कि०मी० का बी.आई.एस कोड एवं नये एच.एफ.एल. 2024 के अनुसार उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण, सुरक्षात्मक एवं कालीकरण कार्य का प्रावधान है।

इस योजना के कार्यान्वयन से 1. सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रून्नीसैदपुर, बेलसंड, सुप्पी, पुरनहिया पिपराही एवं परसौनी प्रखंड 2. पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत पताही प्रखंड 3. शिवहर जिलान्तर्गत शिवहर एव तरियानी प्रखंड तथा 4. मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत औराई, कटरा एवं गायघाट प्रखंड के आवासितों एवं जनसंपदा को बागमती नदी से उत्पन्न बाढ़ से बचाव में मदद् मिलेगी। साथ ही बाढ़ से होने वाले जान–माल के नुकसान को रोका जा सकेगा।

इस प्रकार यह योजना काफी लाभप्रद एवं जनोपयोगी है।

संतोष 16/1/25

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग, पटना

75

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेस नोट

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के आलोक में बिदेश्वरस्थान उपशाखा नहर के कि0मी0 27.44 से कि0मी0 48.78 तक का विस्तारीकरण कार्य जिसकी प्राक्कलित राशि रू0 26653.39 लाख (दो सौ छियासठ करोड़ तिरेपन लाख उनचालीस हजार) मात्र है, की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव है।

बिदेश्वरस्थान उपशाखा नहर, उग्रनाथ शाखा नहर के कि0मी0 3.445 (बायाँ) से निकलती है। अनुसंधान प्रतिवेदन के अनुसार बिदेश्वरस्थान उपशाखा नहर की कुल लम्बाई 6 रीच में 48.78 कि0मी0 है, जिसमें वर्तमान में केवल 4 रीच में 27.44 कि0मी0 की लम्बाई में नहर निर्मित है। अगले 2 रीच में नहर के शेष भाग को 48.78 कि0मी0 तक बनाया जाना प्रस्तावित है।

बिदेश्वरस्थान उपशाखा नहर की कुल लम्बाई 48.78 कि0मी0 में कुल सी0सी0ए0 25293 हे0 है। वर्तमान में 27.44 कि0मी0 की लम्बाई में नहर निर्मित है एवं निर्मित हिस्से का सी0सी0ए0 17497 हे0 है। निर्मित नहर प्रणाली से मुख्य रुप से मधुबनी जिला अन्तर्गत खजौली, बाबूबरही, राजनगर, पंडौल एवं झंझारपुर प्रखंड के कृषक को सिंचाई सुविधा मुहैया करायी जाती है।

बिदेश्वरस्थान उपशाखा नहर का विस्तारीकरण 27.44 कि0मी0 से 48.78 कि0मी0 अर्थात् कुल 21.34 कि0मी0 की लम्बाई में किये जाने से 7796 हे0 सी0सी0ए0 सृजित होगी जिससे मधुबनी जिला के झंझारपुर प्रखंड एवं दरभंगा जिला के मनीगाछी प्रखंड के कृषक लाभान्वित होंगे।

योजना की प्राक्कलित राशि रूपया 26653.39 लाख (दो सौ छियासठ करोड़ तिरेपन लाख उनचालीस हजार) मात्र है। इस योजना को वित्तीय वर्ष 2026–27 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

संतोष 21/1/25

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के आलोक में सारण जिला अंतर्गत "सारण तटबंध के कि0मी0 40.00 से कि0मी0 80.00 के बीच चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं तटबंध शीर्ष पर कालीकृत सड़क निर्माण कार्य (प्राक्कलित राशि-- रू0 23984.571 लाख) के अंतर्गत सारण तटबंध के कुल 40.00 कि0मी0 की लम्बाई में चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं 5.5 मी0 की चौड़ाई के सड़क का निर्माण किये जाने का प्रावधान है।

गंडक नदी के दायें किनारे पर अवस्थित सारण तटबंध सारण जिला को आवर्त्ती बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करता है।

इस योजना के अंतर्गत तटबंध के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं 5.5 मी0 की चौड़ाई के सड़क के निर्माण से तटबंध पर अवस्थित संवेदनशील/अतिसंवेदनशील स्थलों को सुरक्षा मिलेगी एवं बाढ़ के दौरान बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों की व्यवस्था एवं निरीक्षण तथा आम–आवागमन सुगम होगा।

इस योजना के कार्यान्वयन से सारण जिला के मकेर, अमनौर, तरैया एवं पानापुर प्रखंडों को लाभ मिल सकेगा। इस प्रकार यह योजना जनोपयोगी है।

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव,
जल संसाधन विभाग, पटना, बिहार

प्रेस नोट

प्रस्तावित योजना, जिसकी प्राक्कलित राशि रू० 54.4519 करोड (रूपये चौवन करोड़ पैंतालीस लाख उन्नीस हजार मात्र) है, जिसमें वैशाली जिलान्तर्गत प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के आलोक में वैशाली एवं समस्तीपुर जिलान्तर्गत बाया नदी की उड़ाही कार्य का प्रावधान है।

इस योजना के कार्यान्वयन से वैशाली एवं समस्तीपुर जिलान्तर्गत बाया नदी में बाढ़ के पानी का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित किया जा सकेगा। साथ ही आसपास के गांवों को अतिरिक्त बाढ़ के पानी के अवांछित फैलाव और जल जमाव से मुक्त किया जाएगा। साथ हीं बाढ़ से होने वाले जान–माल के नुकसान को रोका जा सकेगा।

इस प्रकार यह योजना काफी लाभप्रद एवं जनोपयोगी है।

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग, पटना

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के आलोक में पुरानी कमलाधार, जीवछ नदी, पुरानी कमला नदी आदि को पुनर्जीवित करने एवं इससे सिंचाई सुविधा बढ़ाने तथा बाढ़ न्यूनीकरण कार्य, जिसकी प्राक्कलित राशि रू0 42601.44 लाख (चार सौ छब्बीस करोड़ एक लाख चौवालीस हजार) मात्र है, की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव है।

इस योजना अंतर्गत नदियों को आपस में जोड़ने से कृषि उद्देश्य हेतु पानी की निरंतर आपूर्ति होगी तथा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी की कमी की समस्या दूर होगी। साथ हीं नदियों को आपस में जोड़ने से बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों से अतिरिक्त पानी को पानी की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की ओर मोड़कर बाढ़ नियंत्रण में योगदान मिलेगा एवं बाढ़ प्रबंधन होगा। इससे बाढ़ के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में मदद मिलेगी जिससे जान–माल को होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा। इसके अलावा नदियों को आपस में जोड़ने से सिंचाई हेतु कमांड क्षेत्र का विकास होगा जिससे क्षेत्रीय विकास और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। साथ हीं किसानों को कृषि उत्पादकता बढ़ाने का अवसर प्रदान होगा, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी एवं आजीविका में सुधार होगा।

इस योजना अन्तर्गत बाढ़ प्रबंधन से संबंधित कार्य से मधुबनी जिला के खजौली, राजनगर एवं पंडौल (कुल 3) प्रखंड तथा दरभंगा जिला के केवटी, दरभंगा सदर, बहादुरपुर, बहेरी, बेनीपुर, बिरौल, कुशेश्वरस्थान पूर्वी एवं कुशेश्वरस्थान पश्चिमी (कुल 8) प्रखंड लाभान्वित होंगे।

साथ ही मधुबनी जिला अंतर्गत पंडौल एवं रहिका प्रखंड तथा दरभंगा ज़िलान्तर्गत बहादुरपुर, मनीगाछी एवं घनश्यामपुर प्रखंड के अंतर्गत लगभग 6089 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही मधुबनी और दरभंगा जिले में मछली, मखाना, सिंघाड़ा आदि जलीय उत्पादों की पैदावार बढ़ेगी। योजना की प्राक्कलित राशि रू0 42601.44 लाख (चार सौ छब्बीस करोड़ एक लाख चौवालीस हजार) मात्र है। इस योजना को वित्तीय वर्ष 2026–27 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

31/1

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग

प्रेस नोट

प्रस्तावित योजना, जिसकी प्राक्कलित राशि रू० 53.3521 करोड (रूपये तीरपन करोड़ पैंतीस लाख इक्कीस हजार मात्र) है, जिसमें वैशाली जिलान्तर्गत प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के आलोक में वैशाली जिलान्तर्गत बरैला झील में पानी लाने एवं अधिक जल स्तर होने पर निकासी किये जाने से संबंधित कार्य का प्रावधान है।

इस योजना के कार्यान्वयन से वैशाली जिला के बरैला झील नें पानी लाने एवं अधिक जल स्तर होने पर निकासी किये जाने का उद्‌देश्य पूरा किया जा सकेगा। साथ ही बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित बरैला झील सलीम अली जुब्बा सहनी पक्षी अभ्यारण्य के रुप में इसे विकसित किया जा सकेगा।

इस प्रकार यह योजना काफी लाभप्रद एवं जनोपयोगी है।

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग, पटना

प्रेस नोट

प्रस्तावित योजना, जिसकी प्राक्कलित राशि रू० 3719.00 लाख (सैंतीस करोड़ उन्नीस लाख मात्र) है, जिसमें पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के आलोक में रक्सौल अनुमंडल में बंगरी नदी पर बाढ़ से बचाव के लिए दायें किनारे पर 4.75 कि.मी. तटबंध निर्माण कार्य का प्रावधान है।

इस योजना के कार्यान्वयन से रक्सौल अनुमंडल अन्तर्गत भवानीपुर, रघोता, हरदिया, श्यामपुर ग्रामों के आवासितों एवं जनसंपदा को बंगरी नदी से उत्पन्न बाढ़ से बचाव में मदद् मिलेगी। साथ ही बाढ़ से होने वाले जान-माल के नुकसान को रोका जा सकेगा।

इस प्रकार यह योजना काफी लाभप्रद एवं जनोपयोगी है।

3/1

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग, पटना

प्रेस नोट

प्रस्तावित योजना, जिसकी प्राक्कलित राशि–3738.00 लाख रुपये (सैंतीस करोड़ अड़तीस लाख रूपये मात्र) है, दिनांक–18.01.2025 को माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार द्वारा बेगूसराय जिला में प्रगति यात्रा के दौरान मिथिला हाट के तर्ज पर सिमरिया घाट एवं कल्पवास मेला क्षेत्र के द्वितीय चरण के संरचनात्मक विकास हेतु किये गये घोषणा के आलोक में सिमरिया धाम स्थल को पर्यटन के दृष्टिकोण से पूर्ण रूप से विकसित किया जाने के साथ इस धर्म स्थल को संसाधन युक्त बनाकर इसकी प्राचीन गरिमा को पुनर्जिवित किया जाएगा ।

प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत निम्नांकित कार्य सन्निहित है :–

(क) नवनिर्मित सीढ़ी घाट के अपस्ट्रीम में रामजानकी घाट तक 125 मी0 की लम्बाई में छः लैडिंग के साथ सीढ़ी घाट का निर्माण कार्य।

(ख) नवनिर्मित सीढ़ी घाट एवं प्रस्तावित सीढ़ी घाट के बीच रीभर ऐज/भाग में बोल्डर ऐज क्रेटिंग कार्य के साथ–साथ पूर्ण लम्बाई में टॉप टैरेस एवं आर०सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य।

(ग) 25 मी० X 9 मी० का एक अदद् कैनोपी / मण्डप निर्माण कार्य।

(घ) 20मी0 X 10मी0 का दो अदद् बड़ा डेक निर्माण कार्य।

(ड.) 10 मी० X 4 मी० का दो अदद् छोटा डेक निर्माण कार्य।

(च) वृक्षारोपण हेतु 10मी0 X 4मी० का दो अदद् प्लांटर निर्माण कार्य।

(छ) छः अदद् स्तंभ का निर्माण कार्य।

(ज) नवनिर्मित सीढ़ी घाट के समीप टॉयलेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य।

साथ ही पूर्व निर्मित सीढ़ी घाट एवं सौन्दर्गीकरण कार्य क्षेत्र में :–

(क) चार ब्लॉक का शॉप क्लस्टर :– विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार शॉप का निर्माण कार्य।

(ख) कैफेटेरिया निर्माण :– जिसके अन्तर्गत रसोईघर, 40 व्यक्तियों के एक साथ बैठने हेतु डाइनिंग हॉल, रिशेप्सन काउन्टर एवं महिला/पुरुष हेतु शौचालय इत्यादि कार्य।

(ग) फन जोन :– जिसके अन्तर्गत लैण्ड स्केपिंग, पेभर ब्लॉक से निर्मित सड़क एवं स्टील फैंसिंग कार्य इत्यादि।

(घ) कल्पवास मेला क्षेत्र के अन्तर्गत दो अदद् टॉयलेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य।

31/1

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव,
जल संसाधन विभाग, पटना

प्रेस नोट

प्रस्तावित योजना, जिसकी प्राक्कलित राशि–32210.00 लाख रुपये (तीन सौ बाईस करोड़ दस लाख रूपये मात्र) है । माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रगति यात्रा के प्रथम चरण में दिनांक–13.01.2025 को समस्तीपुर जिला में भ्रमण के दौरान माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के द्वारा बलान नदी के गाद उड़ाही योजना के क्रियान्वयन की घोषणा के आलोक में बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, दलसिंहसराय के अन्तर्गत बलान नदी के कि0मी0 0.00 (समस्तीपुर जिलान्तर्गत मुसापुर ग्राम के नजदीक) से कि0मी0 78.70 (बेगूसराय जिलान्तर्गत नउला ग्राम के निकट भीठ स्लूईस) तक नदी के तल सफाई कार्य के साथ जमुआरी नदी के कि0मी0 0.00 मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत हरसिंगपुर ग्राम के समीप (ढोली स्लूईस) से कि0मी0 54.06 तक (ग्राम मुसापुर) समस्तीपुर जिलान्तर्गत नदी के तल में जमे गाद सफाई एवं 33 अदद विभिन्न बिन्दुओं पर द्विपथीय सेतु के निर्माण कार्य किया जाना है । उक्त योजना अंतर्गत बलान नदी की तल की चौड़ाई 30 मी0, नदी प्रभाग में स्लोप 1.5:1 एवं नदी तल का ढाल 1:9000 के साथ ग्राम मुसापुर के पास तीन नदियों नून नदी, जमुआरी नदी एवं बलान नदी का संगम स्थल है, जहाँ विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि के लिए नदी में जल की निरंतरता बनाये रखने हेतु ग्राम– मुसापुर एवं ग्राम घाट नवादा में चेक डैम के निर्माण कार्य एवं विभिन्न स्थलों पर नदी के किनारों पर सुरक्षात्मक कार्य के साथ–साथ नदी के दोनों तरफ 100–100 मी0 की दूरी पर सीमांकण स्तम्भ का निर्माण योजना का प्रावधान है । जमुआरी नदी के तल सफाई कार्य के अन्तर्गत तल की चौड़ाई 10 मीटर एवं नदी प्रभाग में स्लोप 1.5:1 रखने का प्रावधान किया गया है ।

इस योजना के कार्यान्वयन से बलान एवं जमुआरी नदी में ग्रीष्मकाल में भी पर्याप्त पानी का जलस्तर बना हुआ रहेगा जिससे नदी के दोनों तरफ बसे हुए गॉव में भूमिगत जल की समस्या का समाधान होगा । साथ ही साथ बाढ़ अवधि में नदी के दोनों तरफ बसे हुए इलाको में पानी का अनावश्यक फैलाव तथा जल जमाव के समस्या का समाधान भी होगा जिससे ग्रामीण जनता को इसका समुचित लाभ मिलेगा । इस प्रकार यह योजना काफी लाभप्रद एवं जनोपयोगी है।

31/1

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव,
जल संसाधन विभाग, पटना

83

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
प्रेस नोट

अपर किउल (गरही डैम) जलाशय मुख्य नहर से निःसृत नहर प्रणाली का कुल सी०सी०ए० 11244 हे० है। खरीफ वर्ष 2023 के दौरान इस नहर प्रणाली से 9186 हे० खरीफ सिंचाई लक्ष्य के विरूद्ध 417 हे० खरीफ सिंचाई उपलब्धि प्राप्त की गयी थी। इस योजना का लाभांवित क्षेत्र जमुई जिला के खैरा, सिकंदरा एवं जमुई प्रखंड है।

उल्लेखनीय है कि अपर किउल मुख्य नहर में सिल्टी मिट्टी होने के कारण इसमें सीपेज की समस्या रहती है। इससे पानी के साथ मिट्टी भी बह जाती है, जिसके कारण नहर का बेड कहीं–कहीं 1.00 फीट से 1.50 फीट तक नीचा है। साथ ही अपर किउल मुख्य नहर में भारी मात्रा में गाद जमा होने एवं पूर्व से निर्मित संरचनाओं के क्षतिग्रस्त होने के कारण अपर किउल जलाशय में पर्याप्त जलश्राव उपलब्ध रहने के बावजूद अपर किउल जलाशय नहर प्रणाली द्वारा सम्पूर्ण कमाण्ड क्षेत्र में पर्याप्त जलश्राव उपलब्ध कराने में कठिनाई होती है।

इस योजनांतर्गत निम्न कार्य कराया जाना प्रस्तावित है :–

i. 19.60 मीटर लम्बाई में मुख्य नहर का लाईनिंग कार्य।
ii. 07 अदद ब्रिज का मरम्मति एवं 01 अदद बॉक्स कल्भर्ट का पुनर्निर्माण कार्य।
iii. 04 अदद क्रॉस ड्रेनेज का मरम्मति एवं 07 अदद क्रॉस ड्रेनेज का पुनर्निर्माण कार्य।
iv. 01 अदद फॉल–सह–ब्रिज का मरम्मति एवं 03 अदद नये फॉल का निर्माण कार्य।
v. 01 अदद क्रॉस रेगुलेटर एवं 01 अदद हेड रेगुलेटर का मरम्मति कार्य।
vi. 18 अदद आउटलेट का पुनर्निर्माण एवं 01 अदद इनलेट का मरम्मति कार्य।

इस योजना के कार्यान्वियन से 7307 हे० कमाण्ड क्षेत्र में ह्रासित सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापन किया जा सकेगा।

31/1

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव

सं०सं०- 7 / MCH --35--32 / 2024

84

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेस नोट

राज्य में बिहार की जनता को गुणवत्तायुक्त विविध प्रकार की चिकित्सकीय सुविधाएँ एवं युवाओं के समक्ष तकनीकी और उच्च शिक्षा के अवसरों को और बढ़ाने एवं राज्य में ही बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है । इसी उद्देश्य से प्रगति यात्रा के प्रथम चरण में दिनांक–22.01.2025 को माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा के क्रम में अररिया जिला में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण एवं जिला अस्पताल के सुदृढ़ीकरण हेतु योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसमें प्रतिवर्ष 100 नामांकन क्षमता का चिकित्सा महाविद्यालय का स्थापना किया जाना है । साथ ही Teaching Hospital के रूप में वर्तमान अवस्थित जिला/सदर अस्पताल का उपयोग किया जाना प्रावधानित है । इसके लिए जिला/सदर अस्पताल के सदृढ़ीकरण की योजना भी सम्मलित है । इस योजना हेतु निर्माण एजेंसी (BMSICL) के द्वारा 401.78 करोड़ का प्रारम्भिक परियोजना प्रस्ताव तैयार किया गया है ।

30.1.25.

सरकार के अपर सचिव

स0सं0— 7 / MCH –35–33 / 2024

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेस नोट

राज्य में बिहार की जनता को गुणवत्तायुक्त विविध प्रकार की चिकित्सकीय सुविधाएँ एवं युवाओं के समक्ष तकनीकी और उच्च शिक्षा के अवसरों को और बढ़ाने एवं राज्य में ही बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है । इसी उद्देश्य से प्रगति यात्रा के प्रथम चरण में दिनांक–16.01.2025 को माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा के क्रम में खगड़िया जिला में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण एवं जिला अस्पताल के सुदृढ़ीकरण हेतु योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसमें प्रतिवर्ष 100 नामांकन क्षमता का चिकित्सा महाविद्यालय का स्थापना किया जाना है । साथ ही Teaching Hospital के रूप में वर्तमान अवस्थित जिला/सदर अस्पताल का उपयोग किया जाना प्रावधानित है । इसके लिए जिला/सदर अस्पताल के सदृढ़ीकरण की योजना भी सम्मलित है । इस योजना हेतु निर्माण एजेंसी (BMSICL) के द्वारा 460.56 करोड़ का प्रारम्भिक परियोजना प्रस्ताव तैयार किया गया है ।

30.1.25

सरकार के अपर सचिव

बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)

प्रेस नोट

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अन्तर्गत **सुपौल जिलान्तर्गत वीरपुर अनुमण्डल** में स्थायी रूप से नवसृजित अवर निबंधक कार्यालय, वीरपुर के क्षेत्राधिकार में बसंतपुर अंचल का संपूर्ण क्षेत्र रखा जाना प्रस्तावित है। इस निमित बसंतपुर अंचल की आम जनता को दस्तावेजों का निबंधन कराना काफी सुलभ होगा, जिन्हें अवर निबंधक कार्यालय, गणपतगंज में निबंधन कराने हेतु लगभग 42 कि0मी0 की दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। साथ ही, निबंधन कार्यालय में प्रशासनिक नियंत्रण में सुविधा प्राप्त होगी तथा राजस्व संग्रहण का भी अधिक कारगर ढंग से अनुश्रवण किया जा सकेगा।

उक्त कार्यालय के लिए अवर निबंधक (राजपत्रित), रात्रिप्रहरी (अराजपत्रित) तथा कार्यालय परिचारी (अराजपत्रित) के एक–एक पद का सृजन होगा। इससे रोजगार की संख्या में भी वृद्धि होगी।

(विनोद सिंह गुंजियाल)
सरकार के सचिव

87

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
प्रेस नोट

पूर्णियाँ जिलान्तर्गत के0 नगर प्रखण्ड के अधीन मजरा पंचायत के भवानीपुर ग्राम में माँ कामाख्या की शक्तिपीठ मंदिर अवस्थित है। उक्त मंदिर लगभग 500 वर्षों पूर्व का है, जिसका स्थानीय स्तर पर लम्बे समय से ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व रहा है। स्थानीय लोगों की ऐसी मान्यता है कि माँ कामाख्या गुवाहाटी से चलकर भवानीपुर मजरा धाम पधारती है एवं "क्षेम-करनी" के रूप में विराजमान रहती है। मंदिर परिसर में एक प्राचीन पीपल का पेड़ भी है, जिसमें अवस्थित माँ के पिन्ड स्वरूप का दर्शन एवं पूजन श्रद्धालुओं द्वारा किया जाता है।

माँ कामाख्या महोत्सव मेला परिसर मंदिर में सालों भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है एवं धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन होता रहता है। प्राचीन काल से यह मान्यता है कि माँ कामाख्या मंगलवार के दिन उक्त स्थल पर प्रकट हुई थी। इसी मान्यता के कारण प्रत्येक मंगलवार को पूर्णियाँ जिला के अतिरिक्त अन्य जिलों के सुदूरवर्ती क्षेत्र तथा पड़ोसी देश नेपाल से हजारो श्रद्धालु भक्त यहाँ आकर पूजा-अर्चना करते हैं। मुख्य रूप से प्रत्येक वर्ष वसंत पंचमी (सरस्वती पूजा) के बाद माघ माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को ठाढ़ी व्रत मेला का आयोजन होता है, जो पाँच दिनों तक चलता है।

पर्यटन के दृष्टिकोण से भी इस मेला का काफी महत्व है। मेला परिसर में स्थानीय लोगों द्वारा हस्तशिल्प से निर्मित सामानों/वस्तुओं की खरीद-बिक्री की जाती है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन होता है। विगत चार वर्षों से कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार एवं स्थानीय लोगों के सहयोग से माँ कामाख्या महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर पूर्णिया जिला के साथ-साथ अन्य जिलों एवं पड़ोसी देश नेपाल से भी श्रद्धालु आते है, जिसकी संख्या लगभग दो लाख रहती है। प्रगति यात्रा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के द्वारा दिनांक 29 जनवरी, 2025 को बिहार राज्य मेला प्राधिकार के प्रबंधन के अन्तर्गत सम्मिलित करने एवं राजकीय मेला घोषित करने की घोषणा की गई।

अतएव उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए समाहर्त्ता, पूर्णियाँ द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचना के आलोक में पूर्णियाँ जिलान्तर्गत **"माँ कामाख्या महोत्सव मेला"** की पौराणिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय महत्ता की पृष्ठभूमि में इस मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकार के प्रबंधन के अन्तर्गत लेते हुए राजकीय मेला घोषित किया गया है।

31.1.25

(जय सिंह)
सचिव।

D:\Shail secon-9\2025\Sanlekh_25\Maa Kamakhya Mahotasav, Purnia_25.doc

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

संचिका सख्या–15 / पी 5–15 / 2022

प्रेस नोट

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के आलोक में राज्य स्कीम अन्तर्गत मिथिला संस्कृत स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान, दरभंगा के विभिन्न भवनों के निर्माण, चाहरदीवारी निर्माण तथा परिसर विकास हेतु रू0 48,64,00,000 / – (अड़तालीस करोड़ चौसठ लाख रूपये) एवं संस्थान के पाण्डुलिपियों के संरक्षण हेतु रू0 8,16,56,000 / –(आठ करोड सोलह लाख छप्पन हजार रूपये) अर्थात् कुल रू0 56,80,56,000 / – (छप्पन करोड़ अस्सी लाख छप्पन हजार रूपये) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस योजना की स्वीकृति से संस्थाना के भवनों का आधुनिकीकरण एवं जिर्णोद्धार हो सकेगा साथ ही साथ यहाँ उपलब्ध दुर्लभ पाण्डुलिपियों को भावी पिढी के लिए संरक्षित किया जा सकेगा।

(बैद्यनाथ यादव)
सचिव
1/2/2025

बिहार सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग
(वायुयान संगठन निदेशालय)

(89)

प्रेस नोट

वीरपुर हवाई अड्डा के विकास के लिए 88.83 एकड़ भूमि अर्जित किये जाने हेतु राज्य स्कीम मद से अनुमानित मुआवजा राशि ₹42,37,79,000/– (बयालीस करोड़ सैंतीस लाख उनासी हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

"प्रगति यात्रा" के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वीरपुर हवाई अड्डा को विकसित करने की घोषणा की गई थी। वीरपुर हवाई अड्डा के विकास के लिए 88.83 एकड़ भूमि अर्जित किये जाने हेतु राज्य स्कीम मद से अनुमानित मुआवजा राशि ₹42,37,79,000/– (बयालीस करोड़ सैंतीस लाख उनासी हजार रूपये) मात्र के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृति दी गयी है।

वीरपुर के निकट ही नेपाल प्रभाग के बड़े व्यापारिक केन्द्र यथा इटहरी, बिराटनगर, धरान, राजबिराज स्थित है। वीरपुर हवाई अड्डा का विकास होने से स्थानीय व्यापारिक केन्द्रों के साथ–साथ निकटवर्ती नेपाल प्रभाग के व्यापारिक केन्द्र भी प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के निकट हवाई अड्डा संचालित रहने से सुरक्षा एवं सामरिक दृष्टिकोण से भी इस हवाई अड्डा का उपयोग प्रतिकूल स्थिति में भी किया जा सकता है।

(डॉ० निलेश रामचंद्र देवरे)
निदेशक

90

बिहार सरकार
खेल विभाग
।। **प्रेस नोट**।।

खेल के क्षेत्र में बिहार राज्य ने व्यापक प्रगति की है। खेल के सभी विधाओं में राज्य के खिलाड़ियों की उपलब्धि प्रशंसनीय है। खेल अवसंरचना के निर्माण से राज्य में खेल प्रतियोगिताओं का वृहत् स्तर पर आयोजन होगा एवं युवाओं को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान किये जाने से उनमें खेल के प्रति अभिरूचि बढ़ी है और खेल संस्कृति में वृद्धि हुई है तथा व्यापक सहभागिता का माहौल बना है।

पूर्णिया जिला के मौजा--मधुबनी के रंगभूमि क्षेत्र में खेल अवसंरचना के निर्माण होने पर खेलों से संबंधित विभिन्न गतिविधियों में बिहार के युवाओं में सहभागिता बढ़ेगी। उक्त स्टेडियम में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा तथा राज्य के खिलाड़ी कई राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपनी विशिष्ट पहचान बना पाएंगे।

Rajendra 1.2.2025

(डॉ0 बी0 राजेन्दर),
सरकार के अपर मुख्य सचिव,
खेल विभाग, बिहार, पटना।

(91)

बिहार सरकार

<u>खेल विभाग</u>

।। प्रेस नोट।।

खेल के क्षेत्र में बिहार राज्य ने व्यापक प्रगति की है। खेल के सभी विधाओं में राज्य के खिलाड़ियों की उपलब्धि प्रशंसनीय है। स्टेडियम के पुनर्निर्माण से राज्य में खेल प्रतियोगिताओं का वृहत् स्तर पर आयोजन होगा एवं युवाओं को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान किये जाने से उनमें खेल के प्रति अभिरूचि बढ़ी है और खेल संस्कृति में वृद्धि हुई है तथा व्यापक सहभागिता का माहौल बना है।

बेतिया में स्टेडियम के पुनर्निर्माण होने पर खेलों से संबंधित विभिन्न गतिविधियों में बिहार के युवाओं में सहभागिता बढ़ेगी। उक्त स्टेडियम में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा तथा राज्य के खिलाड़ी कई राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपनी विशिष्ट पहचान बना पाएंगे।

1.2.2015

(डॉ० बी० राजेन्दर),
सरकार के अपर मुख्य सचिव,
खेल विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
खेल विभाग
।। **प्रेस नोट**।।

प्रगति यात्रा के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा की गयी घोषणा के आलोक में सहरसा जिला मुख्यालय के आस–पास स्टेडियम निर्माण कराने हेतु ₹5822.48 लाख (अट्ठावन करोड़ बाईस लाख अड़तालीस हजार रूपये) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति पर सहमति दी गई है।

खेल के क्षेत्र में बिहार राज्य ने व्यापक प्रगति की है। खेल के सभी विधाओं में राज्य के खिलाड़ियों की उपलब्धि प्रशंसनीय है। स्टेडियम के निर्माण से राज्य में खेल प्रतियोगिताओं का वृहत् स्तर पर आयोजन होगा एवं युवाओं को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान किये जाने से उनमें खेल के प्रति अभिरूचि बढ़ी है और खेल संस्कृति में वृद्धि हुई है तथा व्यापक सहभागिता का माहौल बना है।

सहरसा जिला मुख्यालय के आस–पास स्टेडियम के निर्माण होने पर खेलों से संबंधित विभिन्न गतिविधियों में बिहार के युवाओं में सहभागिता बढ़ेगी। उक्त स्टेडियम में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा तथा राज्य के खिलाड़ी कई राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपनी विशिष्ट पहचान बना पाएंगे।

Rajender 1.2.2025

(डॉ० बी० राजेन्दर),
सरकार के अपर मुख्य सचिव,
खेल विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

पथ प्रमंडल, सीवान अन्तर्गत सीवान–आन्दर पथ (कि0मी0 0.00 से 16.250) तक के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल राशि 6747.57 लाख (सड़सठ करोड़ सैंतालीस लाख संतावन हजार) मात्र रूपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

विषयांकित एम.डी.आर. पथ की कुल लम्बाई 16.25 कि0मी0 है, जिसका वर्त्तमान कैरिज वे 4.0 – 5.0 मी0 को बढ़ाकर 4.0 मी0, 7.0 मी0 एवं 2x5.5m तक करने का प्रावधान है।

यह पथ दरबार मस्जिद सीवान से प्रारम्भ होकर रामनगर, रासिदचौक, भेड़ियार टोला, सलोनी मोड़, हथौड़ा, हुसैनगंज एवं महापुर होते हुए आन्दर बाजार तक जाती है। इस योजना में 1x16m का एक अदद उच्चस्तरीय आर0सी0सी0 ब्रिज का भी प्रावधान है। योजना की कुल राशि 6747.57 लाख है।

विषयांकित योजनाओं के पूरा हो जाने के फलस्वरूप आम जनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।

मिहिर 21/11/25

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के क्रम में प्रगति यात्रा के क्रम में पथ प्रमंडल छपरा अन्तर्गत एकमा–मशरख पथ के कि0मी0 0.00 से 31.60 कि0मी0 के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल राशि 9362.22 लाख (तिरानवें करोड़ बासठ लाख बाईस हजार) मात्र रूपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

विषयांकित पथ की कुल लम्बाई 31.60 कि0मी0 है, जो एकमा एन.एच.–531 से प्रारंभ होकर परसागढ़ होते हुए सिवान–पैगम्बरपुर पथ को क्रॉस कर साहिजातपुर में एन.एच.–331 को पार कर मशरख के पास एन.एच.–227A में मिलती है। इसके वर्त्तमान कैरेज वे 3.75 मी0 से बढ़ाकर 7.0 मी0 करने का प्रावधान है। इस योजना में पथ के दोनो तरफ 3000 मी० लंबाई में आर.सी.सी. नाला का प्रावधान है।

विषयांकित योजनाओं के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।

मिहिर 24.1.25

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के क्रम में पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत लालबकेया नदी पर बलुआ गुआबारी के समीप 7x30.0 मी०+ 5X30 मी० आकार का उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल के निर्माण हेतु कुल ₹7234.0 लाख (रूपये बहत्तर करोड़ चौतीस लाख मात्र) के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

यह योजना पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत लालबकेया नदी पर ढ़ाका प्रखंड अंतर्गत बलुआ गुआबारी के समीप 7x30.0 मी०+ 5x30.0 मी० आकार का उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल के निर्माण करने से संबंधित है। पुल की कुल लंबाई 360 मी० एवं पहुंच पथ की लंबाई 370 मी० है। पुल की कुल चौड़ाई 12मी० है। योजना की कुल आकलित राशि 7234.0 लाख है। यह योजना बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना द्वारा कराया जाना है।

विषयांकित योजना के निर्माण जनहित में होने से निर्बाध, सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के क्रम में सात निश्चय–2–सुलभ सम्पर्कता के तहत पथ प्रमंडल, सिवान अंतर्गत पंचरूखी बाईपास–मोहम्मदपुर मोड़ (एन.एच–531) से छपिया–टेंढ़ीघाट–गोपालपुर (एन.एच–227) पथ के कि.मी. 0.00 से 13.800 (कुल लंबाई 13.800 कि.मी.) में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु 12048.71लाख (एक सौ बीस करोड़ अड़तालिस लाख एकहत्तर हजार) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

विषयांकित बाईपास–मोहम्मदपुर मोड़ (एन.एच–531) से प्रारंभ होकर छपिया– टेंढ़ीघाट होते हुए गोपालपुर (एन.एच–227) पर समाप्त होती है। इस प्रकार यह (एन.एच–531)एवं (एन.एच–227) को जोड़ रही है। इसकी कुल लंबाई 13.80 कि.मी. है। पथ परत की वर्तमान चौड़ाई 3.75मी. को बढ़ाकर 7.00मी. करने का प्रावधान है। प्रस्तावित पथ का 12.599 कि.मी. जल संसाधन विभाग तथा 1.201 कि.मी. ग्रामीण कार्य विभाग के स्वामित्व में है। इस योजना की कुल आकलित राशि 12048.71 लाख है।

इस बाईपास पथ का निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् पटना, छपरा से मैरवा–गुठनी एवं उत्तरप्रदेश आने–जाने में सुविधा होगी तथा तथा आम जनता को सुगम एवं सुरक्षित यातायात उपलब्ध होगा।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

97

प्रगति यात्रा के क्रम में पथ प्रमंडल संख्या–01 मुजफ्फरपुर अन्तर्गत चांदनी चौक (एन.एच.–28) से बखरी (एन.एच.–57) पथ के कि0मी0 0.00 से 7.65 कि0मी0 के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल राशि 8977.13 लाख (नवासी करोड़ सतहत्तर लाख तेरह हजार) मात्र रूपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

विषयांकित एम.डी.आर पथ की कुल लम्बाई 7.65 कि0मी0 है, जो बैरिया गोलम्बर, मुजफ्फरपुर से प्रारंभ होकर बस स्टैंड, दादर ब्रीज, जीरो माईल, बाजार समिति अहियापुर होते हुए बखरी (एन.एच.–57) तक जाती है। इसके वर्त्तमान कैरेज वे को 7.00 मी0–10.00 मी0 से बढ़ाकर 2 x 10 मी0 करने का प्रावधान है। इस योजना में 1000 मी0 लंबाई में 1×1.25 मी० आकार एवं 3500मी0 लंबाई में 2×1.50 मी० आकार का ड्रेन का भी प्रावधान है। इस योजना की कुल लागत राशि 8977.13 लाख है।

विषयांकित योजनाओं के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।

मिहिर 11/15

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के क्रम में पथ प्रमंडल बेगुसराय अन्तर्गत तेघड़ा–मुबारकपुर पथ के कि0मी0 0.00 से 6.7 कि0मी0 के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल राशि 3026.26 लाख (तीस करोड़ छब्बीस लाख छब्बीस हजार) मात्र रूपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

विषयांकित पथ की कुल लम्बाई 6.70 कि0मी0 है। इसके वर्त्तमान कैरेज वे 3.05 मी0 से बढ़ाकर 5.50 मी0 करने का प्रावधान है। यह पथ तेघड़ा से प्रारम्भ होकर काजी, रसुलपुर, तियय, अतरूआ एवं बनवारी पुल होते हुए मुबारकपुर तक जाती है। वर्त्तमान में यह पथ ओ0पी0आर0एम0सी0–II (पैकेज नं0–12बी0) के अन्तर्गत संधारित किया जा रहा है। इस योजना में 4x18 मी0 आकार के उच्च स्तरीय ब्रीज का भी प्रावधान है।

विषयांकित योजनाओं के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।

मिहिर

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के क्रम में समस्तीपुर जिलांतर्गत करेह बागमती नदी पर शंकरपुर घाट पर 12 x 27.80m आकार का उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल के निर्माण हेतु कुल ₹6225.00 लाख (रूपये बासठ करोड़ पच्चीस लाख) मात्र के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

विषयांकित योजना समस्तीपुर जिलांतर्गत करेह बागमती नदी पर शंकरपुर घाट पर 12 x 27.80m आकार का उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल के निर्माण करने का प्रस्ताव है। पुल की कुल लंबाई 360.00 मी० एवं पहुंच पथ की कुल लंबाई 240 मी० है। पुल की कुल चौड़ाई 12मी० है।

विषयांकित योजनाओं के पूरा हो जाने के फलस्वरूप आम जनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।

विषयांकित योजनाओं के पूरा हो जाने के फलस्वरूप आम जनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

100

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के क्रम में समस्तीपुर जिलांतर्गत बुढ़ीगंडक नदी के मगरदही घाट पर पुराने स्क्रूपाईल ब्रीज के स्थान पर पहुँच पथ सहित नए 8 x 24.00m आकार का उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल के निर्माण हेतु कुल ₹4408.00 लाख (रूपये चौवालिस करोड़ आठ लाख मात्र) के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

विषयांकित समस्तीपुर जिलांतर्गत बुढ़ीगंडक नदी के मगरदही घाट पर पुराने स्क्रूपाईल ब्रीज के स्थान पर पहुँच पथ सहित नए 8 x 24.00मी० आकार का उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल के निर्माण करने का प्रस्ताव है। पुल की कुल लंबाई 196.840 मी० एवं पहुंच पथ की कुल लंबाई 100 मी० है। पुल की कुल चौड़ाई 12मी० है।

विषयांकित योजना के निर्माण जनहित में होने से निर्वाध एवं सुरक्षित आवागमन सम्पन्न होगी।

मिहिर

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

101

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के क्रम में पथ प्रमंडल अररिया अन्तर्गत सैफगंज– सुकैला मोड़ भाया महथावा–भरगामा पथ के कि0मी0 0.00 से 26.666 कि0मी0 के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल राशि 9282.66 लाख (बानबें करोड़ बयासी लाख छियासठ हजार) मात्र रूपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

विषयांकित पथ (एम०डी०आर०) की कुल लम्बाई 26.666 कि0मी0 है। पथ की वर्त्तमान चौड़ाई 3.00/3.75 मी0 है जिसे 5.50 मी० करने का प्रावधान है। इस कार्य हेतु भू–अर्जन की आवश्यकता नहीं है। यह पथ वर्तमान में ओ०पी०आर०एम०सी० फेज–II 18बी० के तहत् संधारित किया जा रहा है।

यह पथ एस०एच०–77 के सैफगंज से प्रारंभ होकर महथावा बाजार भरगामा प्रखंड/थाना होते हुए एन०एच०–327ई० के सुकैला मोड़ पर मिलती है।

विषयांकित योजनाओं के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

102

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के क्रम में पथ प्रमंडल, गोपालगंज अंतर्गत मीरगंज बाईपास पथ (कुल लंबाई 3.180 कि.मी.) के निर्माण कार्य हेतु ₹13132.68 लाख (एक सौ इकतीस करोड़ बत्तीस लाख अड़सठ हजार) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

प्रस्तावित 2–Lane बाईपास पथ की कुल लंबाई 3.180 कि.मी. है, जो ग्रीन फील्ड से होकर गुजरेगी। इस पथ में Paved Shoulder सहित 7 मी० का कैरेज वे बनाया जाएगा। यह पथ भारत पेट्रोल पम्प (एन.एच.–531) से प्रारंभ होकर मीरगंज, सबेया एअर फिल्ड होते हुए पीपराखास तक जाती है। इस योजना में दो अद्द RCC Box Culvert (2/33/0) एवं 3 अद्द RCC Box Culvert (1/33/0) सहित 1 ROB का निर्माण भी प्रस्तावित है। इस प्रकार योजना की कुल राशि 13132.68 लाख है (यथा संलग्न परिशिष्ट–I)।

विषयांकित बाईपास के निर्माण होने से कृषि संबंधित क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा होगी, जिससे सुगम एवं सुरक्षित यातायात उपलब्ध होगा।

मिहिर

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

103

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के क्रम में पथ प्रमंडल, बेनीपुर अन्तर्गत असमा पुल (दरभंगा– कुशेश्वर स्थान पथ, एस0एच0–56) से धबौलिया (कुशेश्वर स्थान–फुलतोड़ा घाट पथ) तक बाईपास पथ (कुल लंबाई 3.855 कि.मी.) के निर्माण कार्य हेतु ₹8500.84 लाख (पच्चासी करोड़ चौरासी हजार) मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

प्रस्तावित बाईपास पथ की कुल लंबाई 3.855 कि.मी. है जो ग्रीन फिल्ड के रूप में है। जिसमें कैरेज वे 07 मी० होगा। यह असमा पुल (एस0एच0–56) से प्रारम्भ होकर धबौलिया (कुशेश्वर स्थान–फुलतोड़ा घाट पथ) तक जायेगी। इस योजना में भू–अर्जन की आवश्यकता है।

विषयांकित बाईपास के निर्माण होने से आमजनों के आवागमन में सूविधा होगी, जिससे सुगम एवं सुरक्षित यातायात उपलब्ध होगा।

मिहिर

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के क्रम में पथ प्रमंडल छपरा अन्तर्गत एकमा–डुमाईगढ़ पथ (कुल लंबाई–11.75 कि0मी0) का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल राशि 4166.29 लाख (इकतालिस करोड़ छियासठ लाख उन्तीस हजार) मात्र रूपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

विषयांकित पथ की कुल लम्बाई 11.75 कि0मी0 (0.750 कि०मी० लिंक पथ सहित) है। इसके वर्त्तमान carriage way 3.75 मी0 से बढ़ाकर 3.75मी0 एवं 5.5मी० करने का प्रावधान है। यह पथ एकमा एन.एच.–531 से निकल कर सरयुपार, चनौपुर होते हुए ताजपुर में छपरा–मांझी–दरौली–गुठनी पथ को क्रॉस करते हुए डुमाईगढ़ तक जाती है। यह पथ वर्त्तमान में ग्रामीण कार्य विभाग एवं जल संसाधन विभाग के स्वामित्व में है, जिसमें कार्य कराने हेतु संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त की जाएगी। इस योजना में 2000मी० लंबाई में RCC Drain का भी प्रावधान है।

विषयांकित योजनाओं के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।

मिहिर

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के क्रम में पथ प्रमंडल, गोपालगंज अंतर्गत मीरगंज बाईपास पथ (कुल लंबाई 3.180 कि.मी.) के निर्माण कार्य हेतु ₹13132.68 लाख (एक सौ इकतीस करोड़ बत्तीस लाख अड़सठ हजार) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

प्रस्तावित 2–Lane बाईपास पथ की कुल लंबाई 3.180 कि.मी. है, जो ग्रीन फील्ड से होकर गुजरेगी। इस पथ में Paved Shoulder सहित 7 मी० का कैरेज वे बनाया जाएगा। यह पथ भारत पेट्रोल पम्प (एन.एच.–531) से प्रारंभ होकर मीरगंज, सबेया एअर फिल्ड होते हुए पीपराखास तक जाती है। इस योजना में दो अद्द RCC Box Culvert (2/33/0) एवं 3 अद्द RCC Box Culvert (1/33/0) सहित 1 ROB का निर्माण भी प्रस्तावित है। इस प्रकार योजना की कुल राशि 13132.68 लाख है (यथा संलग्न परिशिष्ट–I)।

विषयांकित बाईपास के निर्माण होने से कृषि संबंधित क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा होगी, जिससे सुगम एवं सुरक्षित यातायात उपलब्ध होगा।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के क्रम में पथ प्रमंडल रोसड़ा अन्तर्गत रोसड़ा–शिवाजी नगर–बरियाही घाट–बहेरी पथ के कि0मी0 0.00 से 22.20 कि0मी0 के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल राशि 9611.20 लाख (छियान्बे करोड़ ग्यारह लाख बीस हजार) मात्र रूपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

विषयांकित पथ की कुल लम्बाई 22.20 कि0मी0 है। पथ की वर्त्तमान carriageway 3.75 मी0 है जिसे 7.00 मी० करने का प्रावधान है। इस कार्य हेतु भू–अर्जन की आवश्यकता नहीं है। इस योजना में 1400मी0 लंबाई में RCC drain भी बनाया जाएगा।

विषयांकित योजनाओं के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।

मिहिर

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के क्रम में पथ प्रमंडल, रोसड़ा अन्तर्गत (1) रोसड़ा बाईपास (उत्तरी) कलवारा चौक (रोसड़ा हथौड़ी पथ के 2रें कि0मी0) से धरहारा (एस0एच0–88 के 5वें कि0मी0) भाया लालपुर, मुहम्मदपुर एवं पवाड़ा तथा (2) रोसड़ा बाईपास (दक्षिणी) रोहुआ (एस0एच0–55 के 26वें कि0मी0) से दौलतपुर (एस0एच0–55 के चैनेज 37वें कि0मी0) कुल लंबाई 12.815 कि.मी. तक के निर्माण कार्य हेतु ₹8718.95 लाख (सत्तासी करोड़ अठारह लाख पंचानबे हजार) मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

विषयांकित बाईपास **(i) उत्तरी** – कलवारा चौक (रोसड़ा हथौड़ी पथ के 2रें कि0मी0) से धरहारा (एस0एच0–88 के 5वें कि0मी0) भाया लालपुर, मुहम्मदपुर एवं पवाड़ा तक जिसकी कुल लम्बाई 5.00कि0मी0 है। इसके वर्त्तमान कैरेज वे 3.75 मी0 से बढ़ाकर 7.00मी0 किया जाना है। इस पथांश का स्वामित्व ग्रामीण कार्य विभाग है।

(ii) दक्षिणी – रोहुआ (एस0एच0–55 के 26वें कि0मी0) से दौलतपुर (एस0एच0–55 के चैनेज 37वें कि0मी0) का निर्माण किया जाना है, जिसकी कुल लम्बाई 7.815 कि0मी0 हो रही है। जिसका कैरिज–वे 3/3.75मी0 से बढ़ाकर 7.00मी0 किया जाना है। इस पथांश का स्वामित्व ग्रामीण कार्य विभाग एवं जल संसाधन विभाग है।

विषयांकित बाईपास के निर्माण होने से आमजनों के आवागमन में सूविधा होगी, जिससे सुगम एवं सुरक्षित यातायात उपलब्ध होगा।

मिहिर

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

108

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के क्रम में पथ प्रमंडल, गोपालगंज जिलांतर्गत कटैया औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु चिन्हित स्थल को विजयीपुर देवरिया सड़क से जोड़ने हेतु बाईपास पथ (कुल लंबाई 5.750 कि.मी.) के निर्माण कार्य हेतु ₹9034.90 लाख (नब्बे करोड़ चौतीस लाख नब्बे हजार) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

प्रस्तावित बाईपास पथ की कुल लंबाई 5.750 कि.मी. है। इस पथ को दो लेन पेभ्ड शोल्डर सहित बनाया जाएगा, जो ग्रीन फील्ड से होकर गुजरेगी, जिसका कैरेज वे 7 मी० होगा। इस योजना के अंतर्गत 8 अद्द (1/33/0) आकार का आर०सी०सी० कल्भर्ट भी प्रस्तावित है।

यह पथ भोरे पंगरा रोड से प्रारंभ होकर परसई, सरोपई, चरखीपुर, खीरडीह, कौलाचक, होते हुए कम्फेड प्लांट, बैरिया तक जाएगी।

इस बाईपास पथ का निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् आम जनता को सुगम एवं सुरक्षित यातायात उपलब्ध होगा।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के क्रम में पथ प्रमंडल, गोपालगंज अंतर्गत एन. एच.–27 से एन.एच.–531 तक (कुल लंबाई 12.60 कि.मी.)गोपालगंज बाईपास के निर्माण कार्य हेतु ₹12654.85 लाख (एक सौ छब्बीस करोड़ चौवन लाख पचासी हजार) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

प्रस्तावित 2 लेन बाईपास पथ की कुल लंबाई 12.60 कि.मी. है, इसके वर्त्तमान कैरेज वे को 3.75मी० से बढ़ाकर 7.00मी० किया जाना है। यह एन.एच.–27 (दानापुर) से प्रारम्भ होकर भाया माझागढ़, देवापुर, कविलासपुर एवं विष्णूसुगर मिल होते हुए एन.एच.–531 (तुरकाहा) तक जाती है।

इस पथ में आंशिक भू–अर्जन सहित पेभड सोल्डर का भी प्रावधान है।

इस बाईपास पथ का निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् आम जनता को सुगम एवं सुरक्षित यातायात उपलब्ध होगा।

मिहिर 29/1/25

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के क्रम में पथ प्रमंडल अररिया अन्तर्गत अररिया –कुर्साकांटा – कुआड़ी –सिकटी पथ के कि0मी0 0.00 से 34.509 कि0मी0 के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल राशि 15207.68 लाख (एक सौ बावन करोड़ सात लाख अड़सठ हजार) मात्र रूपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

विषयांकित पथ (एम.डी.आर.) की कुल लम्बाई 34.509 कि0मी0 है। पथ की वर्त्तमान चौड़ाई 5.50 मी0 है जिसे 10.00 मी० करने का प्रावधान है। इस कार्य हेतु भू–अर्जन की आवश्यकता नहीं है। यह पथ वर्तमान में सी.एम.बी.डी. के तहत् संधारित किया जा रहा है।

यह पथ अररिया (एन.एच–324ई0) से प्रारंभ होकर रामपुर, ताराबारी, पटेगना, कमलदाहा, कुर्साकांटा होते हुए कुआड़ी (भारत–नेपाल सीमा पथ) तक जाती है। इस योजना में 2811मी० लंबाई में ड्रेन का भी प्रावधान है।

विषयांकित योजनाओं के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।

मिहिर

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

111

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के क्रम में खगड़िया जिलांतर्गत अलौली प्रखंड में बागमती नदी पर गढ़ घाट के नजदीक 9 X 35.17m आकार का उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल के निर्माण हेतु कुल ₹6381.40 लाख (रूपये तिरेसठ करोड़ इक्यासी लाख चालीस हजार) मात्र के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

इस योजना में खगड़िया जिलांतर्गत अलौली प्रखंड में बागमती नदी पर गढ़ घाट के नजदीक 9 X 35.17m आकार का उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल के निर्माण करने का प्रस्ताव है। पुल की कुल लंबाई 336.37 मी० एवं पहुंच पथ की कुल लंबाई 525 मी० है। पुल की कुल चौड़ाई 11.9मी० है।

विषयांकित योजना के निर्माण जनहित में होने से निर्वाध एवं सुरक्षित आवागमन सम्पन्न होगी।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

112

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के क्रम में पथ प्रमंडल दरभंगा अन्तर्गत शोभन चौक (एन0एच0–27) से अगरोपट्टी चौक मकिया (एस0एच0–52) पथ भाया गगौल, बरियौल, हरिहरपुर, चमनपुर, कलिगाँव, कनौर, भेलवारा, गौतम कुंड, जंगही टोला एवं बसैठा के निर्माण हेतु कुल राशि 21623.03 लाख (दो सौ सोलह करोड़ तेईस लाख तीन हजार) मात्र रूपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

विषयांकित पथ की कुल लम्बाई 38.60 कि0मी0 है। जिसका कैरेज वे 5.50मी0 होगा। यह पथ शोभन चौक (एन0एच0–27) से अगरोपट्टी चौक मकिया (एस0एच0–52) पथ भाया गगौल, बरियौल, हरिहरपुर, चमनपुर, कलिगाँव, कनौर, भेलवारा, गौतम कुंड, जंगही टोला एवं बसैठा से गुरजेगी। इस पथ का स्वामित्व जल संसाधन विभाग है, फलस्वरूप इसके निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त की जायेगी। पथ के चैनेज 10.40 कि0मी0 में मिल्की गाँव के पास आर0ओ0बी0 निर्माण का प्रस्ताव है। इस योजना में भू–अर्जन की आवश्यकता नहीं है।

विषयांकित योजनाओं के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।

मिहिर

(मिहिर कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

113

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के क्रम में सात निश्चय–2–सुलभ सम्पर्कता के तहत पथ प्रमंडल, किशनगंज अंतर्गत ठाकुरगंज बाईपास रोड –कथालडांगी से धर्मकांटा चौक (एन० एच०–327 ई के कि०मी० 8वाँ) भाया कॉलेज मोड़ (एम०एच० आजाद कॉलेज) तक के (कुल लंबाई 4.010 कि.मी.) निर्माण कार्य हेतु 3958.78 लाख (उनतालीस करोड़ अंठावन लाख अठहत्तर हजार) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

विषयांकित पथ की कुल लंबाई 4.01 कि.मी. है, जिसका मार्गरेखन ग्रीन फिल्ड से होकर गजरती है। पथ परत की कुल चौड़ाई 12मी० प्रस्तावित है। पथ के दोनो तरफ पेभड सोल्डर सहित 10 अद्द आर0सी0सी0 बॉक्स कलभर्ट भी प्रस्तावित है।

उक्त पथ में आंशिक भू–अर्जन का भी प्रावधान है।

इस पथ का मार्गरेखन छोटे बाँध एवं डेड आहार से गुजरती है, जो मुरारी गाछ बंगाल बॉर्डर (एम0डी0आर0) से ठाकुरगंज पथ को क्रॉस करते हुए एन0एच0–327 ई में मिलती है।

इस बाईपास पथ का निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् आम जनता को सुगम एवं सुरक्षित यातायात उपलब्ध होगा।

मिहिर 29/1/25

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के क्रम में किशनगंज जिलांतर्गत महानंदा नदी पर किशनगंज–तैयबपुर–ठाकुरगंज–गलगलिया पथ के 42वें कि०मी० में उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल के निर्माण हेतु कुल ₹6181.48 लाख (रूपये एकसठ करोड़ इक्यासी लाख अड़तालीस हजार) मात्र के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

किशनगंज जिलांतर्गत महानंदा नदी पर किशनगंज–तैयबपुर –ठाकुरगंज–गलगलिया पथ के 42वें कि०मी० में 11X24मी० आकार का उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल के निर्माण करने का प्रस्ताव है। पुल की कुल लंबाई 270.64 मी० एवं पहुंच पथ की कुल लंबाई 800 मी० है। पुल की कुल चौड़ाई 12 मी० है।

विषयांकित योजना के निर्माण जनहित में होने से निर्वाध एवं सुरक्षित आवागमन सम्पन्न होगी।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के क्रम में पथ प्रमंडल, रोसड़ा अंतर्गत मनिका (एस.एच–88) से विक्रमपुर (एन.एच–322) भाया श्रीराम जानकी मेडिकल कॉलेज नरघोघी, सरायरंजन बाईपास पथ (कुल लंबाई 8.250 कि.मी.) के निर्माण कार्य हेतु ₹4230.87 लाख (बयालीस करोड़ तीस लाख सतासी हजार) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

प्रस्तावित बाईपास पथ की कुल लंबाई 8.25 कि.मी. है इस पथ का वर्तमान कैरेज वे 3.75मी0/5.50मी0 को बढ़ाकर 7.00मी0 करना है। यह पथ मनिका से प्रारंभ होकर विक्रमपुर भाया श्रीराम जानकी मेडिकल कॉलेज, नरघोघी सरायरंजन तक जाती है। इस योजना में 1.302 हेक्टेयर भूमि का अर्जन प्रस्तावित है।

विषयांकित बाईपास के निर्माण होने से आमजनों के आवागमन में सूविधा होगी, जिससे सुगम एवं सुरक्षित यातायात उपलब्ध होगा।

(संदीप कुमार आर० पुडकलकट्टी)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के क्रम में किशनगंज जिलांतर्गत कनकई नदी पर असुराघाट एवं निसंदरा घाट के बीच उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल के निर्माण हेतु कुल ₹4825.56 लाख (रूपये अड़तालिस करोड़ पच्चीस लाख छप्पन हजार) मात्र के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

प्रस्तावित कनकई नदी पर असुराघाट एवं निसंदरा घाट के बीच में 12X24मी० आकार का उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल के निर्माण करने का प्रस्ताव है। पुल की कुल लंबाई 295.24 मी० एवं पहुंच पथ की कुल लंबाई 400 मी० है। पुल की कुल चौड़ाई 12 मी० है।

विषयांकित योजना के निर्माण जनहित में होने से निर्वाध एवं सुरक्षित आवागमन सम्पन्न होगी।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

(117)

प्रगति यात्रा के क्रम में पथ प्रमंडल, बेगुसराय अंतर्गत बखरी–बहादुरपुर (खगड़िया बार्डर) बाईपास पथ (कुल लंबाई 7.5 कि.मी.) के निर्माण कार्य हेतु ₹13528.26 लाख (एक सौ पैतीस करोड़ अठाईस लाख छब्बीस हजार) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

प्रस्तावित बाईपास पथ की कुल लंबाई 7.50 कि.मी. है, जिसके 1.50 कि०मी० (चैनेज 0+00 से 1+500) पथ का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है, 2.100 कि०मी० (चैनेज 1+500 से 3+600) पथ का स्वामित्व ग्रामीण कार्य विभाग का है तथा 3.63 कि०मी० (चैनेज 3+600 से 7+230) पथांश का मार्गरेखन ग्रीनफिल्ड से होकर गुजरती है एवं पथ के 0.270 कि०मी० (चैनेज 7+230 से 7+500) पथ का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है। पथ क्रस्ट की प्रस्तावित चौड़ाई 7 मी० है। उक्त बाईपास पथ में एक अदद् ROB के साथ 18 अदद् पुलिया का भी प्रावधान है। यह पथ बखरी से प्रारंभ होकर बहादुरपुर चौक, सोनिहार चौक एवं उजान बाबा स्थान होते हुए बहादुरपुर तक जाती है।

विषयांकित बाईपास के निर्माण होने से खगड़िया और बेगूसराय जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की सूविधा होगी, जिससे सुगम एवं सुरक्षित यातायात उपलब्ध होगा।

मिहिर

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

118

प्रेस नोट

मधेपुरा जिलान्तर्गत राज्य उच्च पथ संख्या–91 पर समपार संख्या–68C (बुधमा एवं मुरलीगंज रेलवे स्टेशन के बीच) के बदले पहुँच पथ सहित सड़क उपरि पुल (आर०ओ०बी०) निर्माण हेतु कुल ₹19,245.00 लाख (रूपये एक सौ बानबे करोड़ पैंतालीस लाख मात्र) के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गयी है।

विषयांकित योजना के लिए कुल लागत राशि ₹19,245.00 लाख मात्र पर राज्य सरकार की शत्–प्रतिशत सहभागिता के आधार पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। विषयांकित परियोजना का निर्माण कार्य बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा कराया जाएगा।

विषयांकित सड़क उपरि पुल (आर० ओ० बी०) का निर्माण राज्य उच्च पथ संख्या–91 पर प्रस्तावित है, जिसे बुधमा रेलवे स्टेशन एवं मुरलीगंज रेलवे स्टेशन के बीच समपार संख्या–68C के बदले निर्माण कराया जाना है। विदित हो कि प्रस्तावित सड़क उपरि पुल (आर० ओ० बी०) के निर्माण से राज्य उच्च पथ संख्या–91 पर अवस्थित विषयांकित समपार पर जाम की समस्याओं से निजात मिलेगी। अतः विषयांकित लेवल क्रॉसिंग के बदले सड़क उपरि पुल (आर० ओ० बी०) के निर्माण जनहित में होने से निर्वाध एवं सुरक्षित आवागमन सम्पन्न होगी। अतः परियोजना का निर्माण जनहित के लिए अति महत्वपूर्ण एवं जनउपयोगी सिद्ध होगा।

(डॉ० संदीप कुमार आर० पुडकलकट्टी)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के क्रम में पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ अन्तर्गत भुतहा मोड़ से मिलिया पोलिटेक्निक कॉलेज भाया पूर्णियाँ श्रीनगर पथ तक आर0ओ0बी0 सहित बाईपास पथ (कुल लंबाई 9.176 कि.मी.) के निर्माण कार्य हेतु ₹14393.62 लाख (एक सौ तेतालीस करोड़ तिरानबे लाख बासठ हजार) मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

प्रस्तावित बाईपास पथ की कुल लंबाई 9.176 कि.मी. है जो कच्चे बांध/पथ के रूप में है। इस पथ का कैरेज वे 10 मी० होगा। यह पथ भुतहा मोड़ (एन0एच0–107 के 171वें कि0मी0) से प्रारम्भ होकर पूर्णियाँ श्रीनगर पथ से होते हुए मिलिया पोलिटेक्निक कॉलेज (एस0एच0–60 के 4थें कि0मी0) तक जाती है। इस योजना के अंतर्गत 01 (एक) आर0ओ0बी0 का निर्माण भी प्रस्तावित है।

विषयांकित बाईपास के निर्माण होने से आमजनों के आवागमन में सूविधा होगी, जिससे सुगम एवं सुरक्षित यातायात उपलब्ध होगा।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(120)

प्रेस नोट

मधुबनी जिलान्तर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–527B एवं खजौली रेलवे स्टेशन–जयनगर रेलवे स्टेशन के बीच अवस्थित रेलवे समपार संख्या–39C (रेलवे कि०मी० चैनेज–47+445) पर आर०ओ०बी० सहित पहुँच पथ निर्माण हेतु कुल ₹17,800.00 लाख (रूपये एक सौ अठहत्तर करोड़ मात्र) के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गयी है।

विषयांकित योजना के लिए कुल लागत राशि ₹17,800.00 लाख मात्र पर राज्य सरकार की शत्–प्रतिशत सहभागिता के आधार पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। विषयांकित परियोजना का निर्माण कार्य बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा कराया जाएगा।

विषयांकित सड़क उपरि पुल (आर० ओ० बी०) का निर्माण राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–527B पर प्रस्तावित है, जो जयनगर रेलवे स्टेशन एवं खजौली रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे समपार संख्या–39C (रेलवे कि०मी० चैनेज–47+445) पर अवस्थित है। विदित हो कि प्रस्तावित सड़क उपरि पुल (आर० ओ० बी०) के निर्माण से जिला मुख्यालय एवं राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–527B पर जाम की समस्या से निजात मिलेगी। अतः विषयांकित लेवल क्रॉसिंग के बदले सड़क उपरि पुल (आर० ओ० बी०) के निर्माण होने से निर्बाध एवं सुरक्षित आवागमन सम्पन्न होगी। अतः परियोजना का निर्माण जनहित के लिए अति महत्वपूर्ण एवं जनउपयोगी सिद्ध होगा।

मिहिर

(मिहिर कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

121

प्रगति यात्रा के क्रम में सुपौल जिलांतर्गत सिमराही बाजार में एन.एच. 57 एवं एन.एच.–106 के जंक्शन प्वांइट पर फ्लाई ओवर के निर्माण हेतु कुल ₹18839.00 लाख (रूपये एक सौ अट्ठासी करोड़ उनतालिस लाख मात्र) के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

सुपौल जिलांतर्गत सिमराही बाजार में एन.एच.–57 एवं एन.एच.–106 के जंक्शन प्वांइट पर फ्लाई ओवर के निर्माण करने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित 4–लेन फ्लाई ओवर के कैरेज वे की चौड़ाई 10.50मी०, डेक का आकार 2×15.1 मी० तथा पुल की कुल लंबाई 0.432 कि०मी० है। इसके पहुंच पथ की चौड़ाई 10.50मी० है एवं इसके कैरेज वे के दोनो तरफ 3मी० पेम्ड सोल्डर का भी प्रावधान है। प्रस्तावित पुल में 6×30 मी० आकार का पी.एस.सी. गर्डर तथा 72मी० स्टील नेटवर्क आर्च का भी प्रावधान है।

विषयांकित योजना के निर्माण जनहित में होने से निर्वाध एवं सुरक्षित आवागमन सम्पन्न होगी।

(संदीप कुमार आर० पुडकलकट्टी)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के क्रम में पथ प्रमंडल पूर्णियां अन्तर्गत 2–लेन पेव्ड सोल्डर सहित एस0 एच0–65 (बनभाग चौक) से बिशनपुर धर्मकांटा तक पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल राशि 11153.08 लाख (एक सौ ग्यारह करोड़ तीरपन लाख आठ हजार) मात्र रूपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

विषयांकित पथ की कुल लम्बाई 35.10 कि0मी0 है। पथ के वर्त्तमान कैरेज वे 7मी० को बढ़ाकर 10मी० एवं 2×7मी० करने का प्रस्ताव है। यह पथ वनभाग चौक से मीरगंज एवं धमदाहा होते हुए विशनपुर धर्मकाटा तक जाती है। इस पथ के 3.495 कि०मी० को 4–लेन किया जाना है, शेष पथांश में 10मी० चौड़ा कैरेज वे होगा। पथ में 11200मी० लंबाई में नाला निर्माण प्रस्तावित है।

विषयांकित योजनाओं के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।

(संदीप कुमार आर० पुडकलकट्टी)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के क्रम में पथ प्रमंडल बेगुसराय अन्तर्गत बी.टी.पी.एस., चकिया (एन.एच.–31) से लखमीनिया बलिया भाया गुप्ता लखमीनिया बांध तक बेगुसराय बाईपास पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल राशि 39362.04 लाख (तीन सौ तिरानवें करोड़ बासठ लाख चार हजार) मात्र रूपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

विषयांकित पथ की कुल लम्बाई 38.210 कि0मी0 है। पथ के वर्त्तमान कैरेज वे 3.05मी० एवं कच्चा पथ को बढ़ाकर 5.5मी० करने का प्रस्ताव है। यह पथ बी.टी.पी.एस. चकिया से प्रारंभ होकर सिम्हा, रामदीरी, मतिहानी, दरियापुर एवं सदनंदपुर होते हुए बलिया तक जाती है। इस पथ का स्वामित्व जल संसाधन विभाग का है। इसके अंतर्गत 35.05 कि०मी० में 3.75मी० कैरेज वे का पथ निर्माण हेतु सशर्त्त अनापत्ति दी गई है। पथ के चौड़ीकरण हेतु पूनः जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।

विषयांकित योजना के पूरा हो जाने से मोकामा से खगड़िया, पूर्णियां एवं कटिहार आने जाने में आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।

(संदीप कुमार आर० पुडकलकट्टी)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा की घोषणाएं में सम्मिलित मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज के पास बुढ़ी गंडक नदी पर 12X25.00 M आकार उच्चस्तरीय आर०सी०सी पुल का अतिरिक्त कार्य (Phase-II) 2950.00 मी० (2200 m+750.00 m) लम्बाई में पहुँच पथ निर्माण कार्य हेतु 12093.11 लाख (एक सौ बीस करोड़ तिरानवे लाख ग्यारह हजार) रूपये के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गयी है।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मुजफ्फरपुर जिले में प्रगति यात्रा, 05.01.2025 की प्रमुख घोषणाओं में प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत NH-57 सिपहापुर–चकमुहम्द (जगन्नाथ मिश्रा आर०ओ०बी० पुल का पहुँच पथ) – 2200 मी० एवं मुजफ्फरपुर–पुसा पथ के जेल चौक के निकट से खुदीराम बोस समाधि स्थल तक (जगन्नाथ मिश्रा आर०ओ०बी० पुल का पहुँच पथ) तक 750 मी०–कुल 2950 मी० लम्बाई में पहुँच पथ निर्माण होने से, पुराना NH-57- दरभंगा पथ एवं मुजफ्फरपुर पुसा पथ के जेल चौक तक सम्पर्कता प्रदान करेगी, जो बाईपास के रुप में काम करेगा। परियोजना में भू–अर्जन मद में ₹ 8800.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 अंतर्गत पथ निर्माण कार्य हेतु बजटीय प्रावधान 278864.70 लाख रू० एवं BOS की राशि 392938.66 लाख के विरूद्ध दायित्व सहित अब तक 729220.069 लाख रू० की योजना अनुशंसित है। अतएव BOS की अवशेष राशि (-)336281.4093 लाख रू0 है, जो ऋणात्मक है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में सड़क प्रक्षेत्र अन्तर्गत बजट उपबंध की तीन गुणी राशि के अंधिक दायित्व सृजित हो जाने के फलस्वरूप वित्त विभाग का संकल्प सं० 12888 / वि0 दिनांक 03.12.24 की कंडिका 14 में निहित प्रावधान के आलोक में इस जनोपयोगी योजना को विशेष परिस्थिति में उक्त अधिसीमा के आगे स्वीकृति हेतु लोक वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाना है।

(संदीप कुमार आर० पुडकलकट्टी)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के क्रम में खगड़िया जिलांतर्गत बुढ़ी गंडक नदी पर रहीमपुर एवं खगड़िया बाईपास पथ के बीच 8×35.17मी० आकार के उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल के निर्माण हेतु कुल ₹9904.60 लाख (रूपये निन्यानवें करोड़ चार लाख साठ हजार मात्र) के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

यह योजना खगड़िया जिलांतर्गत बुढ़ी गंडक नदी पर रहीमपुर एवं खगड़िया बाईपास पथ के बीच 8×35.17मी० आकार के उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल के निर्माण के संबंध में है। विषयांकित 2–लेन पुल की लंबाई 299.00 मी० एवं चौड़ाई 11.09 मी० है। इस पुल के एक तरफ 2250मी० एवं दुसरे तरफ 350मी० लंबाई में पंहुच पथ बनाया जाना प्रस्तावित है। इस योजना में भु–अर्जन का भी प्रस्ताव है।

विषयांकित योजना के निर्माण जनहित में होने से निर्वाध एवं सुरक्षित आवागमन सम्पन्न होगी।

(संदीप कुमार आर० पुडकलकट्टी)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

126

प्रगति यात्रा के क्रम में दरभंगा जिलान्तर्गत दरभंगा रेलवे स्टेशन से आमस–दरभंगा एक्सप्रेसवे भाया डोनार चौक, कर्पूरी चौक एवं कर्पूरी चौक से एकमा चौक भाया लहेरियासराय चौक, लोहिया चौक तक अपग्रेडेशन/उन्नयन तथा एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण कार्य हेतु कुल 186887.00 लाख (अठारह सौ अड़सठ करोड़ सत्तासी लाख) मात्र रूपये के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

विषयांकित पथ की कुल लम्बाई 13.175 कि0मी0 है। इसके अन्तर्गत 1.87 कि0मी0 4लेन एलिवेटेड कॉरिडोर, 3.805 कि0मी0 2लेन एलिवेटेड कॉरिडोर, 4.20 कि0मी0 4 लेने एट ग्रेड रोड, 0.50 कि0मी0 4लेन आर0ई0 वॉल सहित रैम्प, 2.80 कि0मी0 2लेन आर0ई0 वॉल सहित रैम्प प्रस्तावित है, जिसका 11.175 कि0मी0 रिजिड पेभमेंट एवं 2.00 कि0मी0 बिटुमिनस पेभेमेंट होगा। इसके अन्तर्गत 2.00 कि0मी0 4लेन वाले कैरेज वे आर0ओ0बी0 (एल0सी0–23) से आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे तक नई एलाईमेंट है।

यह पथ दरभंगा रेलवे स्टेशन से प्रारम्भ होकर आमस–दरभंगा एक्सप्रेसवे भाया डोनार चौक, कर्पूरी चौक एवं कर्पूरी चौक से एकमा चौक भाया लहेरियासराय चौक, लोहिया चौक तक जाती है।

विषयांकित योजना के निर्माण जनहित में होने से निर्वाध एवं सुरक्षित आवागमन सम्पन्न होगी।

(संदीप कुमार आर० पुडकलकट्टी)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

127

प्रगति यात्रा के क्रम में मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत चांदनी चौक से रामदयालु नगर तक NH-122 के पथांष के चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु कुल 4476.17 लाख (चौवालिस करोड़ छिहत्तर लाख सत्रह हजार) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

विषयांकित पथ की कुल लम्बाई 4.00 कि0मी0 है। वर्तमान में यह पथांश 4–लेन तक है, जिसे उपलब्ध आर.ओ.डब्लू. के अनुसार 6–लेन तक किया जाना है।

यह चांदनी चौक मुजफ्फपुर से प्रारंभ होकर भगवानपुर चौक होते हुए रामदयालुनगर चौक तक जायेगी। इस योजना में 300 मी0 लंबाई में 0.6m x 0.9m आकार के आर.सी.सी. ड्रेन एवं भगवानपुर चौक स्थित गोलम्बर के सौंदर्यीकरण का भी प्रावधान है। इस पथांश में संजय सिनेमा (दामोदरपुर) के पास एक आर.ओ.बी. का निर्माण रेलवे द्वारा किया जा रहा है। इस योजना में भू–अर्जन की आवश्यकता नहीं है।

विषयांकित योजना के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।

(संदीप कुमार आर० पुडकलकट्टी)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

128

प्रेस नोट

माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रगति यात्रा दिनांक–05.01.2025 के दौरान प्राप्त निदेश के आलोक में कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मुजफ्फरपुर –हाजीपुर पथ पर तुर्की एवं रामदयालु नगर रेलवे स्टेशन के बीच स्थित रेलवे समपार संख्या–7 Spl के बदले सड़क उपरी पुल (रेलवे कि०मी० 47 / 10–11) के निर्माण कार्य कुल ₹24800.00 लाख (रूपये दो सौ अड़तालीस करोड़ मात्र) के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गयी है।

माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रगति यात्रा के दौरान प्राप्त निदेश के आलोक में विषयांकित सड़क उपरि पुल (आर० ओ० बी०) निर्माण हेतु कुल राशि ₹24800.00 लाख मात्र के अनुमानित लागत पर रेलवे एवं बिहार सरकार के बीच निष्पादित वर्त्तमान MOU दिनांक–07.05.2019 आधारित कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर प्रदान किया जाना है।प्रस्तावित दो लेन सड़क उपरी पुल सहित 5.5 मीटर चौड़ाई सर्विस पथ / डायवर्सन पथ सहित पहुँच पथ का निर्माण कार्य प्रस्तावित है।

प्रस्तावित आर० ओ०बी० अघोरिया बाजार – मुजफ्फरपुर –हाजीपुर पथ पर अवस्थित रेलवे समपार संख्या–7 SPl के स्थान पर है। उक्त समपार होकर अघोरिया बाजार से मुजफ्फरपुर –हाजीपुर (राष्ट्रीय उच्च पथ–77) तथा समस्तीपुर (राष्ट्रीय उच्च पथ -22) पर वाहनों के अत्यधिक आवागमन के कारण विषयांकित समपार पर वाहनों का अत्यधिक दबाव रहता है। उक्त समपार राष्ट्रीय उच्च पथ–77 के नजदीक होने के कारण संबंधित पथ पर निरंतर जाम की समस्या बनी रहती है। विषयांकित लेवल क्रॉसिंग के बदले आर०ओ०बी० के निर्माण जनहित में होने से निर्वाध एवं सुरक्षित आवागमन सम्पन्न होगी।

(डॉ० संदीप कुमार आर० पुडकलकट्टी)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रगति यात्रा दिनांक–05.01.2025 के दौरान प्राप्त निदेश के आलोक में कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मुजफ्फरपुर–रामदयालुनगर रेलवे स्टेशनों के बीच (रेलवे कि०मी०– 50/36–38) गोबरसही चौक के पास लेवल क्रॉसिंग संख्या– 4A के बदले आर०ओ०बी० का निर्माण कार्य हेतु राज्यांश राशि ₹13261.3476 लाख (रूपये एक सौ बत्तीस करोड़ इकसठ लाख चौंतीस हजार सात सौ साठ मात्र) सहित कुल ₹16768.20 लाख (रूपये एक सौ सड़सठ करोड़ अड़सठ लाख बीस हजार मात्र) के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गयी है।

विषयांकित योजना के लिए कुल लागत राशि ₹16768.20 लाख मात्र पर रेलवे एवं बिहार सरकार के बीच निष्पादित वर्त्तमान MOU दिनांक–07.05.2019 आधारित कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर विषयांकित परियोजना निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

प्रस्तावित आर०ओ०बी० मुजफ्फरपुर–रामदयालुनगर रेलवे स्टेशनों के बीच (रेलवे कि०मी०– 50/36–38) पर है एवं इसका संरेखण मारीपुर–डुमरी मुख्य पथ पर अवस्थित है तथा गोबरसही चौक पर राष्ट्रीय उच्च पथ सं०–128 के उपर प्रस्तावित सड़क उपरि पुल के रुप में गुजरेगी।

विदित हो कि मारीपुर–डुमरी पथ एवं राष्ट्रीय उच्च पथ सं०–128 मुजफ्फरपुर शहर का अति महत्वपूर्ण मार्ग है, जो महत्वपूर्ण शहरों एवं कई गॉवों को जोड़ती है। जिस पर अत्यधिक ट्रैफिक वॉल्युम है। विषयांकित लेवल क्रॉसिंग के बदले सड़क उपरी पुल के निर्माण जनहित में होने से निर्बाध एवं सुरक्षित आवागमन सम्पन्न होगी। अतः परियोजना का निर्माण जनहित के लिए अति महत्वपूर्ण एवं जनउपयोगी सिद्ध होगा।

(डॉ० संदीप कुमार आर० पुडकलकट्टी)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

130

प्रेस नोट

माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रगति यात्रा दिनांक–29.01.2025 के दौरान प्राप्त निदेश के आलोक में कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर कटिहार जिलान्तर्गत कटिहार रेल मंडल के समपार सं०–L.C. No.-KM-1 (Km 0/7-8) (कटिहार–मुकुरिया) संतोषी चौक एवं L.C. No.-KJ-1 (Km 0/8-9) (कटिहार–जोगबनी) साहेब पारा चौक के बीच रेलवे उपरी पुल के निर्माण कार्य कुल ₹19365.06 लाख (रूपये एक सौ तिरानबे करोड़ पैंसठ लाख छः हजार मात्र) के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गयी है।

विषयांकित योजना के लिए कुल लागत राशि ₹19365..00 लाख मात्र पर रेलवे एवं बिहार सरकार के बीच निष्पादित वर्त्तमान MOU दिनांक–07.05.2019 आधारित कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर विषयांकित परियोजना निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

प्रस्तावित सड़क उपरी पुल एक तरफ कटिहार शहर के बाटा चौक, मंगल बाजार से होते हुए शहीद चौक, राजेन्द्र पथ न्यू मार्केट रोड होते हुए दुर्गा स्थान चौक, महमूद चौक के पास राष्ट्रीय उच्च पथ–31 के रास्ते डी० एस० कॉलेज होते हुए सुर तुलसी इंटर कॉलेज के पास कटिहार बायपास राष्ट्रीय उच्च पथ–131A से जुड़ जायेगी तथा दूसरी तरफ मिरचाईबाड़ी से होते हुए मनिहारी, गैराबाड़ी (राष्ट्रीय उच्च पथ–31), सिरसा कैम्प (राज्य उच्च पथ संख्या–98), दलन (राष्ट्रीय उच्च पथ–131A), पूर्णियाँ को जोड़ेगी। यह सड़क उपरि पुल कटिहार शहर के लिए एक वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध करायेगी जिससे शहर में यातायात दबाव कम होगा। विषयांकित लेवल क्रॉसिंग के बदले सड़क उपरि पुल का निर्माण जनहित में होने से निर्वाध एवं सुरक्षित आवागमन सम्पन्न होगी।

अतः परियोजना का निर्माण जनहित के लिए अति महत्वपूर्ण एवं जनउपयोगी सिद्ध होगा।

(डॉ० संदीप कुमार आर० पुडकलकट्टी)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

131

प्रेस नोट

कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज बथनाहा स्टेशन के बीच कटिहार–जोगबनी रेल खण्ड पर L.C. No.-KJ-65 के बदले सड़क उपरि पुल (आर०ओ०बी०) निर्माण कार्य कुल ₹ 11564.55 लाख (रूपये एक सौ पन्द्रह करोड़ चौसठ लाख पचपन हजार मात्र) के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गयी है।

प्रस्तावित ROB फारबिसगंज बथनाहा स्टेशन के बीच (रेलवे कि०मी०– 96/1–96/2) L.C. No.-KJ-65 (कटिहार–जोगबनी रेल खण्ड) पर अवस्थित है एवं राष्ट्रीय उच्च पथ सं०–57A से सुलभ सम्पर्कता प्रदान करेगी। विदित हो कि राष्ट्रीय उच्च पथ सं०–57A अररिया शहर का अति महत्वपूर्ण मार्ग है, जो महत्वपूर्ण शहरों एवं कई गॉवों को जोड़ती है। जिस पर अत्यधिक Traffic Volume है। विषयांकित लेवल क्रॉसिंग के बदले ROB (Road Over Bridge) के निर्माण जनहित में होने से निर्वाध एवं सुरक्षित आवागमन सम्पन्न होगी।

परियोजना के निर्माणोपरांत रेलवे लाईन के पास जाम की समस्याओं से निजात मिलेगी एवं यातायात सुगम एवं सुरक्षित होगा। अतः परियोजना का निर्माण जनहित के लिए अति महत्वपूर्ण एवं जनउपयोगी सिद्ध होगा।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के क्रम में पथ प्रमंडल, सिवान अन्तर्गत यू०पी० सरकार द्वारा घाघरा नदी पर बलिया जिले के चाँदपुर ग्राम एवं बिहार राज्य के सिवान जिलान्तर्गत रघुनाथपुर ब्लॉक के नेवारी, गभिरार के बीच निर्मित उच्च स्तरीय पुल से जोड़ने हेतु पहुँच पथ का निर्माण हेतु कुल ₹5296.32 लाख (रूपये बावन करोड़ छियानबे लाख बत्तीस हजार) मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

प्रगति यात्रा के क्रम में सिवान जिलांतर्गत यू०पी० सरकार द्वारा घाघरा नदी पर बलिया जिले के चाँदपुर ग्राम एवं बिहार राज्य के सिवान जिलान्तर्गत रघुनाथपुर ब्लॉक के नेवारी, गभीरार के बीच निर्मित उच्च स्तरीय पुल से जोड़ने हेतु पहुँच पथ के निर्माण का प्रस्ताव है। यह पहुँच पथ सिवान जिला के मुख्य राजकीय मार्ग छपरा–मांझी–दरौली–गुठनी पथ के कि0मी0 45+100 से प्रारम्भ होकर इस जिला के रघुनाथपुर ब्लॉक अन्तर्गत नेवारी, गभीरार ग्राम होते हुए यू0पी0 के बलिया जिलान्तर्गत चाँदपुर ग्राम में निर्मित उच्च स्तरीय पुल से जोड़ेगी।

इस पहुँच पथ के बन जाने से उच्च स्तरीय पुल की उपयोगिता के साथ दोनों प्रदेशों के लोगों के बीच की दूरी कम होगी एवं उनके आर्थिक विकास में सहयोग प्रदान करेगी।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

133

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा की घोषणाएं में सम्मिलित गोपालगंज जिलान्तर्गत थावे मंदिर के सम्पर्क मुख्य पथ, आन्तरिक पथ (Internal Road) का निर्माण एवं अन्य कार्य कुल 3075.20 लाख (तीस करोड़ पचहत्तर लाख बीस हजार) रूपये के प्राक्कलित राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गयी है।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा गोपालगंज जिले में प्रगति यात्रा, दिनांक–04.01.2025 की प्रमुख घोषनाओं में सम्मिलित प्रसिद्ध थावे मंदिर के सौंदर्यीकरण, विकास एवं पर्यटक दृष्टिकोण से यह परियोजना महत्त्वपूर्ण है। थावे मंदिर में आने वाले भक्तजनों के लिए सुगम एवं सुरक्षित आवागमन प्रदान करेगी।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग
प्रेस नोट

राज्य के पीरपैंती (भागलपुर) में अधिग्रहित भूमि पर प्रस्तावित सौर ऊर्जा के स्थान पर ताप विद्युत परियोजना (3X800 मेगावाट) के अधिष्ठापन की सैद्धान्तिक स्वीकृति, इसका कार्यान्वयन टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के आधार पर करने तथा बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड को क्रियान्वयन एजेंसी नामित करने एवं विभागीय संकल्प संख्या–2838 दिनांक–09.11.2021 को इस हद तक संशोधित करने की स्वीकृति प्रदान किया जाना आवश्यक है।

उक्त आलोक में राज्य के पीरपैंती (भागलपुर) में अधिग्रहित भूमि पर प्रस्तावित सौर ऊर्जा के स्थान पर ताप विद्युत परियोजना (3X800 मेगावाट) के अधिष्ठापन की सैद्धान्तिक स्वीकृति, इसका कार्यान्वयन टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के आधार पर करने तथा बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड को क्रियान्वयन एजेंसी नामित करने एवं विभागीय संकल्प संख्या–2838 दिनांक–09.11.2021 को इस हद तक संशोधित करने की स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(हस्ताक्षर) 11/8/25

(पंकज कुमार पाल)
सरकार के सचिव।

135

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के परिपत्र संख्या 1876 दिनांक 19.10.2006 के आलोक में

निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना

प्रेस नोट

= = = = =

मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी (बी0एल0ओ0) के पारिश्रमिक/ मानदेय की राशि दिनांक 01.04.2025 से प्रति बी0एल0ओ0 ₹6,000.00 (छः हजार रूपये) प्रति वर्ष से बढ़ाकर ₹9,000.00 (नौ हजार रूपये) प्रति वर्ष एवं पुनरीक्षण की अवधि में बी0एल0ओ0 द्वारा किये जाने वाले घरों के भ्रमण के लिए उन्हें अतिरिक्त ₹1,000.00 (एक हजार रूपये) प्रति वर्ष इस प्रकार ₹4,000.00 (चार हजार रूपये) प्रति वर्ष प्रति बी0एल0ओ0 की दर से कुल ₹31,15,80,000/–(इकतीस करोड़ पन्द्रह लाख अस्सी हजार रूपये) मात्र अतिरिक्त व्यय करने की स्वीकृति के संबंध में।

हस्ताक्षर– 4/7/2025

नाम– मिथिलेश कुमार साहु

पदनाम– संयुक्त सचिव

"मजबूत लोकतंत्र–सबकी भागीदारी"

136 121

प्रेस नोट

उद्योग विभाग अन्तर्गत बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना द्वारा कुल 09 कलस्टर तथा 84 औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक विकास केन्द्र स्थापित है, जिसमें कुल भूमि 7592.39 एकड़ थी। वर्तमान में लगभग 1407.00 एकड़ भूमि आवंटन हेतु शेष है। बिहार राज्य में नये उद्योगों की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार किया जाय। बिहार के 31 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु सैद्धान्तिक सहमति पर मंत्रिपरिषद की दिनांक–12.07.2024 के बैठक में मद संख्या–42 के रूप में स्वीकृति भी प्राप्त है। इस प्रयोजन हेतु उपर्युक्त भूमि अधिग्रहित की जानी है, जहाँ सुलभ संपर्क उपलब्ध हो।

उक्त के क्रम में बिहार में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार हेतु मधुबनी जिला के दो अंचल लौकही अंचल अंतर्गत मौजा बनगामा से कुल रकबा–460.71 एकड़ एवं झंझारपुर अंचल अंतर्गत मौजा लोहना से कुल रकबा 252.23 एकड़ अर्थात समेकित **कुल रकबा–712.94 एकड़ रैयती भूमि** का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के माध्यम से अधिग्रहण एवं अधिग्रहण की प्राक्कलित राशि क्रमशः रु0 1,32,77,66,220.00 (रुपये एक अरब बतीस करोड़ सतहत्तर लाख छियासठ हजार दो सौ बीस) मात्र एवं रु0 1,03,47,69,500.00 (रुपये एक अरब तीन करोड़ सैतालीस लाख उनहतर हजार पाँच सौ) मात्र अर्थात् कुल प्राक्कलित राशि **रु0 2,36,25,35,720.00 (रुपये दो अरब छत्तीस करोड़ पच्चीस लाख पैंतीस हजार सात सौ बीस) मात्र** के व्यय के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार से मधुबनी जिला में विभिन्न प्रक्षेत्रों में निवेश एवं रोजगार के अवसर बढ़ेंगें तथा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होंगी।

23/1/2025

(बन्दना प्रेयषी)
सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार पटना।